

અધ્યાય ।
રાજસ્વ ક્ષેત્ર

अध्याय-I

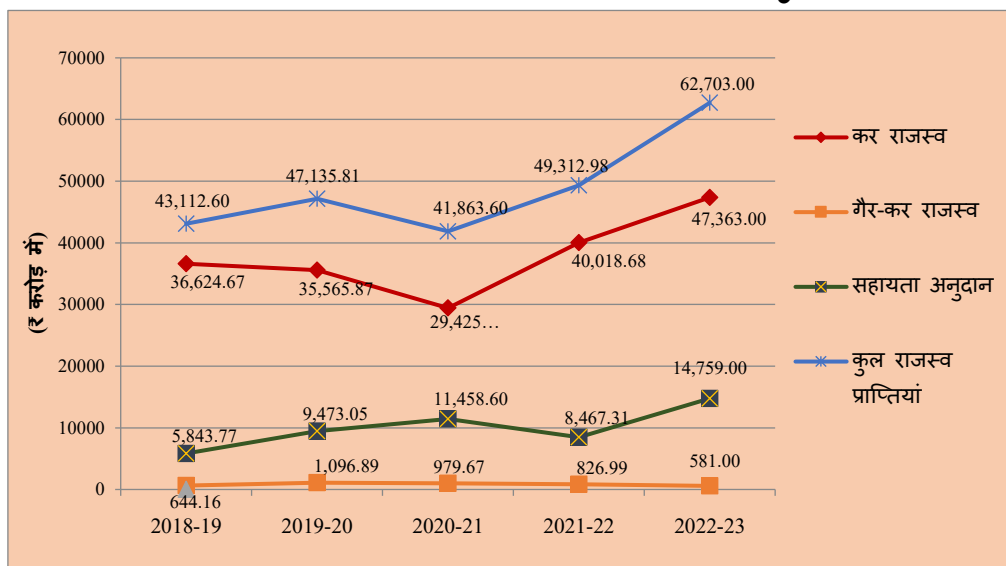
राजस्व क्षेत्र

1.1 परिचय

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा जुटाए गए कर और गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सहायता अनुदान और पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़ों को चार्ट 1.1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की वर्ष-वार प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियां 2018-19 के ₹ 43,113 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 62,703 करोड़ हो गईं जो 45.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर 11 प्रतिशत रही, जिसमें से रा.रा.क्षे.दि.स. की राजस्व प्राप्तियों (कर और गैर-कर) में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 7,098.33 करोड़ (17.38 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2022-23 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 27.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से स्वयं कर राजस्व में

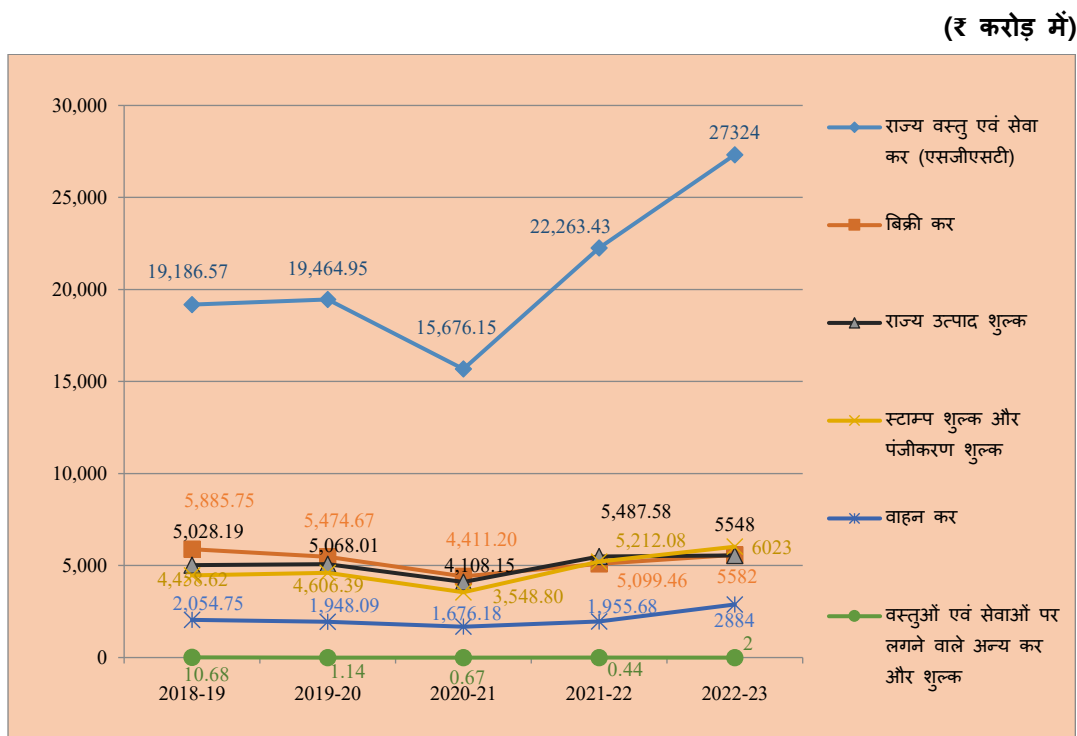
₹ 7,344 करोड़ (18.35 प्रतिशत) की वृद्धि और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹ 6,291.69 करोड़ (74.31 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी।

रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2018-19 के 84.95 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 75.53 प्रतिशत हो गया। 2018-19 के दौरान, लगभग 86.38 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आईं, जब कि सहायता अनुदान ने 13.55 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2022-23 में, लगभग 76.46 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से आईं, जब कि सहायता अनुदान ने 23.54 प्रतिशत का योगदान दिया।

• कर राजस्व का विश्लेषण

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण चार्ट-1.1.2 में दिया गया है।

चार्ट-1.1.2: जुटाए गए कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति



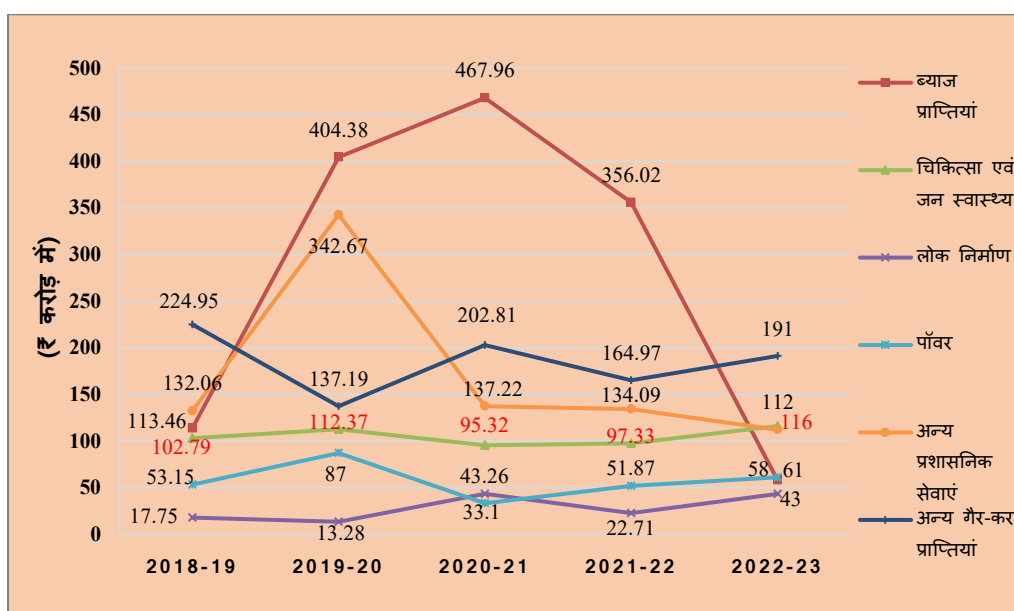
राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) का था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 5,060.57 करोड़ (22.73 प्रतिशत) बढ़ गया। वर्ष 2022-23 के लिए 'राज्य उत्पाद शुल्क', 'स्टाम्प

और पंजीकरण शुल्क' और 'वाहन कर' शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में क्रमशः ₹ 60.42 करोड़ (1.10 प्रतिशत), ₹ 810.92 करोड़ (15.56 प्रतिशत) और ₹ 928.32 करोड़ (47.47 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जब कि 'भू-राजस्व' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

• गैर-कर राजस्व का विश्लेषण

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान जुटाए गए गैर- कर राजस्व का विवरण चार्ट-1.1.3 में दिया गया है।

चार्ट-1.1.3: जुटाए गए गैर-कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति



रा.रा.क्षे.दि.स. की गैर-कर प्राप्तियों में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में उतार-चढ़ाव देखा गया। इसमें पिछले वर्ष में प्राप्त राजस्व की तुलना में 2022-23 में ₹ 246 करोड़ (29.75 प्रतिशत) की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'ब्याज प्राप्तियों' में ₹ 298 करोड़ (83.71 प्रतिशत) की कमी थी, जो मुख्य रूप से 'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज' में 2021-22 के ₹ 335.85 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 45.46 करोड़ हो जाने के कारण थी। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रमुख योगदान 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य', 'अन्य गैर-कर प्राप्तियों' और 'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' से था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान क्रमशः ₹ 18.67 करोड़ (19.18 प्रतिशत), ₹ 26.03 करोड़ (15.78 प्रतिशत) की वृद्धि और ₹ 22.09 करोड़ (16.47 प्रतिशत) की कमी आई।

वर्ष 2022-23 में 'लोक निर्माण' और 'विद्युत' शीर्ष के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 20.29 करोड़ (89.34 प्रतिशत) और ₹ 9.13 करोड़ (17.60 प्रतिशत) बढ़ गईं।

1.1.2 राजस्व का बकाया

राजस्व का बकाया सरकार को प्राप्य/देय राजस्व की प्राप्ति में विलंब को इंगित करता है। व्यापार और कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्य शीर्ष '0040-बिक्री, व्यापार पर कर' आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक राजस्व का बकाया ₹ 70,410 करोड़ था, जिसमें से ₹ 46,037 करोड़ (65 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था।

1.1.3 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, लेन-देन की नमूना-जांच करने और नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित लेखाओं और अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों पर निरीक्षण रिपोर्टें (आईआर) के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, जिसमें निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिनका उसी अवसर पर निपटारा नहीं किया जाता है, को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को और उसकी प्रतियां अगले उच्चतर प्राधिकारियों को जारी की जाती हैं ताकि वे त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निरीक्षण रिपोर्टों में निहित अभ्युक्तियों का तुरंत अनुपालन करें, त्रुटियों और चूकों को सुधारें और निरीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर महालेखाकार को अनुपालन की रिपोर्ट दें। विभागाध्यक्षों और सरकार को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना दी जाती है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई आईआर, इन रिपोर्टों में शामिल पैराग्राफ और 31 मार्च 2023 तक उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक 1.1** में दर्शाया गया है।

तथापि, लंबित पैराओं की संख्या 2013-14 में ₹ 11,595.76 करोड़ की राशि वाले 11,941 (558 आईआर में से) से घटकर वर्ष 2022-23 के अंत में ₹ 7,382.06 करोड़ की राशि वाले 10,659 (1090 आईआर में से) हो गई, परंतु तथ्य यह था कि बड़ी संख्या में पर्याप्त मौद्रिक मूल्य वाले पैरा लंबित थे। यह इंगित करता है कि विभागों ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं/सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण बड़ी संख्या में पैराओं का लंबित रहना इस तथ्य का संकेत है कि कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों ने आईआर में लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई त्रुटियों, चूक और अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर करता है और राजस्व की परिहार्य हानि का जोखिम बढ़ाता है। बड़ी संख्या में लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अनुपालन और निपटारे की नियमित निगरानी और समीक्षा करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।

• विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार आईआर में मौजूद लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटारे की प्रगति की निगरानी और उसमें तेज़ी लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। तथापि, वर्ष 2022-23 के दौरान विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

• लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (बी) के अनुसार, कोई भी लेखा, बही, कागज़ात और अन्य दस्तावेज़ जो लेन-देन से संबंधित हैं या आधार बनते हैं या अन्यथा उन लेन-देनों से संबंधित हैं, जिन पर लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों को बढ़ाया गया है, उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाएगा जिसे वह अपने निरीक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है। कर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम काफी पहले तैयार किया जाता है और सामान्यतः लेखापरीक्षा शुरू होने से एक महीना पहले विभागों को सूचना जारी

की जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए संबंधित अभिलेखों को तैयार रख सकें।

व्यापार और कर विभाग के डीवीएटी और बीओडब्ल्यूईबी प्रणाली में विक्रेताओं के प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध थे, तथापि, कुछ मामलों में इन अभिलेखों को किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। लेखापरीक्षा ने गहन संवीक्षा के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 126 विक्रेताओं के भौतिक अभिलेखों की मांग की, परंतु विभाग ने 77 विक्रेताओं (61.11 प्रतिशत) के संबंध में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया, जो सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त सीएजी की शक्तियों का उल्लंघन है। 60 प्रतिशत से अधिक मामलों में मांगे गए अभिलेखों को उपलब्ध न कराना चिंता का विषय है। अभिलेख उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप, इन मामलों में सम्मिलित राजस्व का पता नहीं लगाया जा सका। परिवहन विभाग ने वर्ष 2022-23 के दौरान मांगे गए 82 मामलों में से 80 मामलों (97.56 प्रतिशत) के अभिलेख उपलब्ध कराए।

• लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई: संक्षिप्त स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिपादित मुद्दों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) जारी करनी होती हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि वे लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा के लिए उठाए गए हैं या नहीं। ये एटीएन दिल्ली विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के अंदर महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा विधिवत पुनरीक्षण करके लोक लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना होता है।

तथापि, अप्रैल 2018 और जुलाई 2022 के बीच राज्य विधानसभा के समक्ष रखे गए 31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 22 पैराग्राफ के संबंध में प्रतिवेदनों पर एटीएन जारी करने में विलंब हुआ। 31 मार्च 2020, 2021 और 2022 को समाप्त वर्षों के

प्रतिवेदन मार्च 2025 तक राज्य विधानसभा के समक्ष नहीं रखे गए हैं। संबंधित विभागों से एटीएन विलंब से प्राप्त हुए थे, जिनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में औसतन छह माह का विलंब हुआ था। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सात पैराग्राफ में से पांच के संबंध में एटीएन विभागों से प्राप्त नहीं हुए थे। लोक लेखा समिति ने उपर्युक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से किसी भी पैराग्राफ पर चर्चा नहीं की।

1.1.4 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ, विभागों द्वारा स्वीकार किए गए पैराग्राफ और वसूल की गई राशि की स्थिति **अनुलग्नक 1.2** में दर्शाई गई है।

वर्ष 2012-13 से 2021-22 के प्रतिवेदनों में ₹ 4,430.88 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल थे, जिनमें से ₹ 2,561.03 करोड़ के मौद्रिक मूल्य से संबंधित अभ्युक्तियों को विभागों द्वारा स्वीकार किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा 31 मार्च 2022 तक केवल ₹ 0.16 करोड़ (0.01 प्रतिशत) की राशि वसूल की गई थी, जो नगण्य थी। स्वीकृत मामलों की वसूली की अल्प राशि अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई और खराब निगरानी को दर्शाती है।

1.1.5 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पूर्व प्रवृत्तियों और अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना एक जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग (केंद्रीय और राज्य) की रिपोर्टें, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक और लेखापरीक्षा व्याप्ति तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव में उजागर किए गए मामलों को ध्यान में रखा गया है।

1.1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम: वर्ष 2022-23 के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2022-23 के दौरान 165 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों¹ में से 22 इकाइयों² की लेखापरीक्षा की गई जिनमें ₹ 24,286.33 करोड़ की कर राजस्व प्राप्तियां शामिल थीं। अभिलेखों की नमूना जांच से 145 पैराग्राफों में ₹ 220.59 करोड़ के कर/शुल्क की गैर/अल्प उगाही और अन्य अनियमितताओं का पता चला। संबंधित विभागों ने इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई उत्तर नहीं दिया।

1.1.7 राजस्व अध्याय की व्याप्ति

राजस्व क्षेत्र से संबंधित इस अध्याय में “ई-वे बिल प्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और तीन अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 1,985.04 करोड़ है। संबंधित विभागों ने ₹ 1,867.77 करोड़ से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है। इन पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

¹ जीएसटी/वैट-126, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क-22, मोटर वाहन कर-16, राज्य उत्पाद शुल्क-1

² जीएसटी/वैट-2, राज्य उत्पाद शुल्क-शून्य, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क-14, मोटर वाहन कर-6

राजस्व विभाग

1.2 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में ₹ 1.91 करोड़ का अल्प भुगतान

औद्योगिक/आवासीय दरों के स्थान पर कृषि- दर के गलत प्रयोग के कारण ₹ 1.91 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का अल्प भुगतान

राजस्व विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ए से एच के बीच वर्गीकृत, रा.रा.क्षे. दिल्ली के विभिन्न स्थानों में स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरें निर्धारित करती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में आने वाली संपत्तियों के पंजीकरण के समय, इन दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाना है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 26 फरवरी 2021 के आदेशों के अंतर्गत, दिल्ली में भूमि और अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम दरों (सर्किल दरें) में छूट को तत्काल प्रभाव से और 30 सितंबर 2021 तक अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27 में अवधारणा है कि शुल्क को प्रभावित करने वाले तथ्यों को प्रपत्र में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रतिफल (यदि कोई हो) और शुल्क के साथ किसी भी लिखत की प्रभार्यता या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, को प्रभावित करने वाले सभी अन्य तथ्य और परिस्थितियां पूर्णतः और वस्तुतः इसमें निर्धारित की जाएंगी।

ई-सब रजिस्ट्रार VI ई, लिबासपुर, दिल्ली (कार्यालय) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अल्प भुगतान के दो मामले देखे गए। विवरण नीचे दिया गया है:

1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हमीदपुर गाँव की राजस्व संपदा में स्थित कृषि भूमि³ की बिक्री हेतु कार्यालय में दिनांक 06.04.2021 को ₹ 84.00 लाख के विक्रय मूल्य पर एक विक्रय विलेख पंजीकृत किया गया। तदनुसार, कुल ₹ 4.20 लाख का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान, बेची गई संपत्ति की वास्तविक प्रकृति की उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के ऑनलाइन पोर्टल से फिर से जांच की गई और पाया

³ खसरा सं. 40/8/2 (0-14),9/2(2-15),12 मिनट (3-06, 13 (0-17)

गया कि समान खसरा संख्या और समान विक्रेता के नाम वाली भूमि को पोर्टल पर "औद्योगिक भू-खंडित संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अतः सर्किल दर के अनुसार, स्टाम्प प्रयोजन हेतु संपत्ति की लागत/मूल्य ₹ 2,366.95 लाख परिकल्पित किया गया गया, जब कि विक्रय विलेख में स्वीकृत मूल्य ₹ 84.00 लाख था। इस प्रकार, विचाराधीन भूमि को 'औद्योगिक भूमि' के स्थान पर 'कृषि भूमि' के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के कारण, ₹ 114.15 लाख (देय ₹ 118.35 लाख - दत्त ₹ 4.20 लाख) के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का अल्प उगाही हुई, जिसका विवरण नीचे **अनुलग्नक-1.3** में दिया गया है।

2. दिल्ली के अलीपुर गांव में स्थित एक अन्य संपत्ति भी कृषि भूमि के रूप में पंजीकृत थी यद्यपि, जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) द्वारा जारी और दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रमाणपत्र से पता चला कि संपत्ति का उपयोग हस्तांतरिती द्वारा 'आवासीय' प्रयोजन के लिए किया जाना था। इस मामले में, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गलत दरें लागू करने के के के परिणामस्वरूप ₹ 76.87 लाख (विवरण **अनुलग्नक-1.3** में दिया गया है) का अल्प भुगतान हुआ।

इस प्रकार, दोनों मामलों में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अल्प उगाही ₹ 1.91 करोड़ की हुई। मामला विभाग को सूचित किया गया (21 जून 2024)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी, 2025)।

व्यापार और कर विभाग

1.3 वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

1.3.1 ई-वे बिल का परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया गया है, जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' की अवधारणा पर आधारित कई तरह के अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित कर लिया गया है। जीएसटी प्रणाली के अभिप्रेत उद्देश्यों में से एक प्रक्रिया-संबंधी समय-विलंब को कम करके वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही में दक्षता में सुधार करना था।

वे बिल एक ऐसी सुविधा थी जो जीएसटी से पहले की प्रणालियों में भी मौजूद थी, जहाँ वस्तुओं की आवाजाही मैन्युअल रूप से संचालित (राजस्व) जांच चौकियों के माध्यम से नियंत्रित होती थी। किसी विशेष राज्य में प्रवेश करने वाली वस्तु पर 'प्रवेश कर' लगाया जाता था, जिसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) को सरकार द्वारा निगरानी वाले कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्वयं-रिपोर्टिंग मॉडल में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया गया है।

ईडब्ल्यूबी लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईडब्ल्यूबी वस्तुओं के आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज़ है और इसे वस्तुओं की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। पूरी प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर अपवंचन पर रोक लगाना और जीएसटी संग्रहण को बढ़ाना है। ईडब्ल्यूबी को गैर-व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए भी अभिकल्पित किया गया है, ताकि पारगमन समय कम हो और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार हो।

₹ 50,000 से अधिक मूल्य की सभी वस्तुओं की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए 01 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल लागू किया गया था। अंतः-राज्यीय आवाजाही के लिए, ई-वे बिल को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य कर दिया गया था, जिसकी अवसीमा⁴ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर नियमावली (डीजीएसटी नियमावली), 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 में ईडब्ल्यूबी तंत्र का प्रावधान है। वस्तु की आवाजाही से पहले परेषण की जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, चाहे यह आवाजाही आपूर्ति के संबंध में हो या आपूर्ति के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए हो।

1.3.2 विभाग का संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली में, जीएसटी का प्रशासन व्यापार एवं कर विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें आयुक्त की अध्यक्षता में एक आयुक्तालय है। आयुक्तालय को विशेष

⁴ दिल्ली के मामले में अंतःराज्यीय/संघ शासित प्रदेश आवाजाही के लिए परेषण मूल्य की अवसीमा ₹ 1 लाख है।

आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे 124 वार्ड (क्षेत्रीय फार्मेशन) और सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में दो कर कर-वंचन निरोधक प्रकोष्ठों में विभाजित किया गया है।

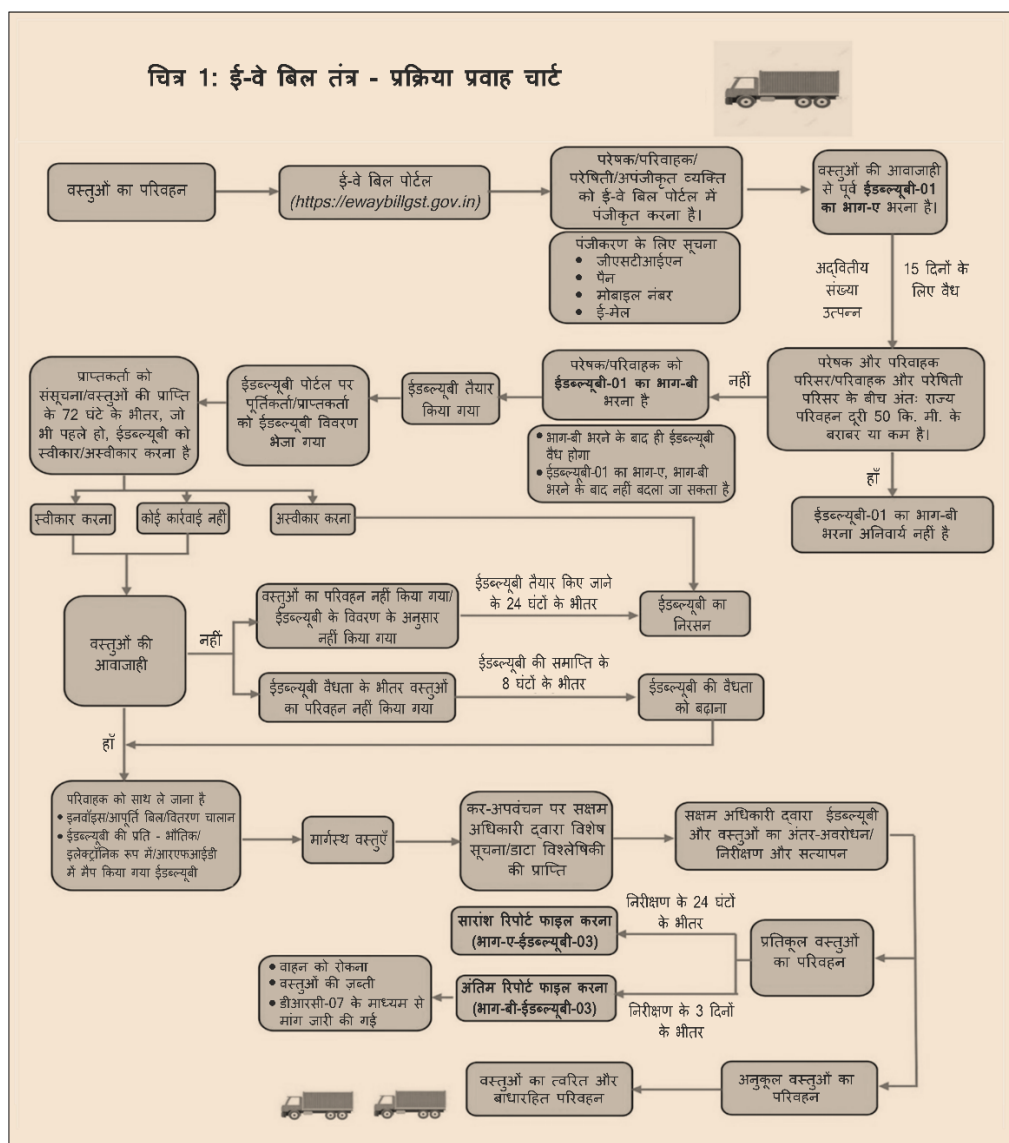
1.3.3 ईडब्ल्यूबी के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियाँ

ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल (पोर्टल) का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा कर्नाटक में स्थित उनके कार्यालयों द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ईडब्ल्यूबी पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 'वाहन' प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया था, ताकि ईडब्ल्यूबी बनाते करते समय वाहन पंजीकरण संख्या की पुष्टि की जा सके। इसके अलावा, 01 जनवरी 2021 से फास्टैग प्रणाली को ईडब्ल्यूबी प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया था। ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल पर, ईडब्ल्यूबी बनाने, विस्तार करने, निरस्त करने और अस्वीकार करने के लिए करदाता का एक बार पंजीकरण आवश्यक है। केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दोनों के सक्षम अधिकारी (पीओ), प्रदत्त लॉगिन प्रत्यायक का उपयोग करके उसके वेब ब्राउज़र में लॉग-इन करके या जीएसटी ईडब्ल्यूबी प्रणाली मोबाइल ऐप में लॉग-इन करके पोर्टल तक पहुँच सकते हैं।

1.3.4 ईडब्ल्यूबी प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएं

ईडब्ल्यूबी प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे पोर्टल पर अपेक्षित व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल का सृजन, विस्तार, बनाए गए ईडब्ल्यूबी का निरसन और अस्वीकृति आदि। जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली के प्रक्रिया प्रवाह को चित्र-1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: ई-वे बिल तंत्र - प्रक्रिया प्रवाह चार्ट



1.3.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) के लेखापरीक्षा उद्देश्य निम्नलिखित की जांच करना था:

- क्या ईडब्ल्यूबी तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी था; और
- ईडब्ल्यूबी प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी थीं।

1.3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में डीजीएसटी अधिनियम 2017 और उसके अंतर्गत बनाई गई डीजीएसटी नियमावली 2017 में निहित प्रावधान शामिल थे। इसके

अतिरिक्त, दिल्ली जीएसटी विभाग, जीएसटी परिषद, एनआईसी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, परामर्श और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी लेखापरीक्षा मानदंड का हिस्सा थीं।

1.3.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

01 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों के ईडब्ल्यूबी लेन-देन को निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में जीएसटी प्रणाली में ईडब्ल्यूबी प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच की गई। लेखापरीक्षा अवधि के ईडब्ल्यूबी डाटा को जीएसटीएन⁵ से प्राप्त किया गया है और उसका विश्लेषण किया गया है। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया है और रेल मार्ग/वायु मार्ग/समुद्री मार्ग से संबंधित ईडब्ल्यूबी को इस लेखापरीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ईडब्ल्यूबी के संदर्भ में विभाग के निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, वस्तुओं का निरीक्षण और उसके संबंध में की गई कार्रवाई।

1.3.8 लेखापरीक्षा नमूना चयन पद्धति

लेखापरीक्षा अवधि (2018-19 से 2021-22) के दौरान, 5,98,16,939 जावक और 11,80,046 आवक ईडब्ल्यूबी बनाए गए। विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ईडब्ल्यूबी की संख्या क्रमशः 7,50,548, 12,03,175 और 15,981 थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 97 प्रतिशत से अधिक ईडब्ल्यूबी में वस्तुओं की आवाजाही सड़क मार्ग से हुई और तीन प्रतिशत से भी कम में अन्य माध्यमों से हुई थी। विवरण **अनुलग्नक-1.4** में दिया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया था क्योंकि अवसीमा के अधीन किसी भी वस्तु की आवाजाही के लिए ईडब्ल्यूबी का बनाया जाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूने पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों (केपीए) के आधार पर तैयार किए गए थे। सरकार की

⁵ वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क

राजस्व प्राप्ति में बाधा डालने वाले के केपीए **अनुलग्नक-1.5** में दिए गए हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूना निम्न प्रकार है:

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए, कुल 129 ईडब्ल्यूबी (आठ करदाताओं के परस्पर पैर विश्लेषण के आठ मामले, उच्च मौद्रिक मूल्य का एक मामला और 36 करदाताओं के 120 मामले) नमूने के रूप में लिए गए थे। इसका विवरण **अनुलग्नक-1.6** से **1.9** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जहाँ करदाता के किसी ईडब्ल्यूबी में विसंगतियाँ पाई गईं, वहाँ अनुपालन को सत्यापित करने हेतु करदाता द्वारा तैयार किए गए सभी ईडब्ल्यूबी की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 में प्रचालन तत्परता, कर-वंचन निरोधक उपायों की प्रभावशीलता और अतः विभागीय एवं अंतर्विभागीय समन्वय, जैसे प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए, कर-वंचन निरोधक II (एई II) प्रकोष्ठ (केवल ईडब्ल्यूबी का सत्यापन करने वाली निवारक इकाई) का चयन किया गया और इकाई द्वारा सत्यापित 50 मामलों का विस्तृत परीक्षण हेतु यादृच्छिक रूप से चयन किया गया।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रवेश सम्मेलन 06 जुलाई 2023 को व्यापार एवं कर विभाग के विशेष आयुक्त (लेखापरीक्षा) के साथ आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की गई और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ विभाग को जारी की गईं। तथापि, विभाग से उत्तर प्रतीक्षित हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का निर्गम सम्मेलन 03 फरवरी 2025 को व्यापार एवं कर विभाग के आयुक्त के साथ आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई।

1.3.9 आभार

लेखापरीक्षा के सुचारु संचालन के लिए समय-समय पर अभिलेख, सूचना और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने में राज्य कर विभाग द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए लेखापरीक्षा आभारी है।

1.3.10 सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में ईडब्ल्यूबी तंत्र

डाटा विश्लेषण के दौरान पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों के आधार पर नमूना ईडब्ल्यूबी का चयन किया गया और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित अभिलेखों का विस्तृत सत्यापन किया गया। क्षेत्रीय दौरे के दौरान, करदाताओं के अभिलेख, जैसे क्रय/बिक्री रजिस्टर, स्टॉक लेखे आदि मंगवाए गए और उनकी जांच की गई।

1.3.10.1 मूल लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मूल लेखापरीक्षा⁶ के दौरान पाए गए प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों पर प्रत्येक केपीए लेखापरीक्षा के अंतर्गत चर्चा की गई है, ताकि पहचाने गए जोखिमों के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

(i) प्रशमन उगाही योजना के अंतर्गत जारी रहने वाले अयोग्य करदाता

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर अवसीमा⁷ से अधिक नहीं था, प्रशमन उगाही योजना (सीएलएस) के अंतर्गत कर भुगतान का विकल्प चुन सकता है। धारा 10(2)(बी) में प्रावधान है कि यदि वह वस्तुओं की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति में संलग्न है, तो वह सीएलएस का विकल्प चुनने के लिए योग्य नहीं होगा और धारा 10(3) के अनुसार, यह योजना उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन किसी वित्त वर्ष के दौरान उसका टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि करदाताओं द्वारा फाइल किए गए विभिन्न रिटर्न की संवीक्षा सक्षम अधिकारी द्वारा की जा सकती है ताकि रिटर्न की परिशुद्धता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में दिखाई देने वाली विसंगतियों या असंगतियों पर उचित कार्रवाई की जा सके।

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले 45 करदाताओं से संबंधित 129 ईडब्ल्यूबी की मूल लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि एक करदाता वस्तुओं की अंतर-राज्यीय जावक आपूर्ति करते हुए भी सीएलएस के अंतर्गत बना रहा तथा उसका टर्नओवर भी अवसीमा से अधिक था।

⁶ मूल लेखापरीक्षा- विस्तृत संवीक्षा

⁷ सीएलएस के लिए योग्य बनने हेतु प्रति वर्ष अवसीमा 1 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच की अवधि के लिए ₹ एक करोड़ और उसके बाद ₹ 1.5 करोड़ थी। विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में यह ₹ 75 लाख है।

इस मामले को नीचे दर्शाया गया है:

ईडब्ल्यूबी डाटा के विश्लेषण से पता चला कि सीएलएस के अंतर्गत पंजीकृत एक करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXX9177XXXX) ने उत्तर प्रदेश राज्य में अंतर-राज्यीय आपूर्ति हेतु ₹ 63.89 करोड़ के ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे। ये सभी आपूर्तियां वित्त वर्ष 2019-20 में की गई थीं जो न केवल निर्दिष्ट अवसीमा ₹ 1.5 करोड़ से अधिक थी बल्कि अंतर-राज्यीय आपूर्ति करके सीएलएस के प्रावधान का उल्लंघन भी करती थीं। फर्म सीएलएस के अंतर्गत बना रहा। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल से प्राप्त जानकारी की जांच से पता चला कि करदाता ने इस अवधि के लिए कोई रिटर्न फाइल नहीं किया और इस संबंध में, सरकार के राजस्व हितों की रक्षा के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। इन आपूर्तियों के प्रति सरकार को देय एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) ₹ 7.52 करोड़ है।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.1: विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को अवसीमा पार करने के बारे में सचेत किया जा सके और सीएलएस करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी बनाने से रोका जा सके।

(ii) 'शून्य' रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीएलएस करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 रिटर्न में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का भुगतान जीएसटीआर-3बी रिटर्न में करना होगा। सीएलएस करदाताओं के मामले में कर देयता का भुगतान जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 रिटर्न में किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि करदाताओं द्वारा फाइल किए गए विभिन्न रिटर्न की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि रिटर्न

की परिशुद्धता का सत्यापन किया जा सके और रिटर्न में पाई गई विसंगतियों या असंगतियों पर उचित कार्रवाई की जा सके।

यह पाया गया कि पांच करदाताओं, जिन्होंने 759 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, ने इन ईडब्ल्यूबी में शामिल ₹ 33.89 करोड़ की जावक आपूर्ति के प्रति ₹ 4.68 करोड़ की कर देयताओं का भुगतान नहीं किया था **(अनुलग्नक 1.10)** क्योंकि संबंधित महीनों के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर डाटा की संवीक्षा से पता चला कि करदाताओं ने शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किया था।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने एक मामले में डीआरसी-01 और तीन मामलों में डीआरसी-07 जारी किए थे (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX7189XXXX वाले एक करदाता ने मार्च 2019 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान ₹ 4.49 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले और ₹ 0.80 करोड़ की कर देयता वाले 548 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, परंतु मार्च, मई और जून 2019 के लिए शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किया और इस प्रकार अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। यह भी देखा गया कि विभाग ने 05 जून 2019 से करदाता के आवेदन पर उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया। करदाता ने 06 जून 2019 से 01 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान ₹ 1.48 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले 203 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे और पंजीकरण निरस्त होने के बाद ₹ 0.27 करोड़ की कर देयता थी, परंतु विभाग ने करदाता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, विभाग ने ईडब्ल्यूबी एमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी का उपयोग नहीं किया था और करदाता से बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

(iii) जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, सीएलएस करदाताओं के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 रिटर्न में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का भुगतान जीएसटीआर-3बी रिटर्न में करना होगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 62 में यह प्रावधान है कि जहाँ कोई पंजीकृत व्यक्ति नोटिस प्राप्त होने के बाद भी रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहाँ सक्षम अधिकारी उपलब्ध या एकत्रित सभी संबंधित सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और एक निर्धारण आदेश जारी कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहाँ एक कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है परंतु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, सक्षम अधिकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुरूप ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 करदाताओं (अनुलग्नक 1.11) ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 580 ईडब्ल्यूबी तैयार किए, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 252.66 करोड़ और कर ₹ 31.46 करोड़ था, परंतु उन्होंने संबंधित महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किए, इसलिए कर देयता का कोई भुगतान नहीं किया गया।

रिटर्न फाइल न करने के कारण, विभाग ने डीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत इन करदाताओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया। तथापि, डीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 और 63 के अंतर्गत निर्दिष्ट कर देयता का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई और इस प्रकार सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल से यह देखा गया कि इन निरस्त किए गए करदाताओं ने जीएसटीआर-10⁸ रिटर्न फाइल नहीं किया था।

⁸ जीएसटीआर-10 - प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, उसे निरसन की तिथि या निरसन आदेश की तिथि, जो भी बाद में आता हो, से तीन महीने के अंदर जीएसटीआर-10 फॉर्म में अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने सात मामलों में डीआरसी-01 और छह मामलों में डीआरसी-07 जारी किए (मई 2025)। शेष दो मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन - 07XXXXX2772XXXX वाले एक करदाता ने जुलाई 2019 में जावक आपूर्तियों के लिए ₹ 3.46 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले और ₹ 0.36 करोड़ के कर देयता वाले नौ ईडब्ल्यूबी तैयार किए। इसके अतिरिक्त, जीएसटीएन पोर्टल से जानकारी की जांच से पता चला कि अगस्त 2019 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न करदाता द्वारा फाइल नहीं किया गया था, इसलिए कर देयता का भुगतान नहीं हुआ। करदाता का पंजीकरण 15 सितंबर 2020 को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए निरस्त कर दिया गया, जो कि 30 जुलाई 2019 से प्रभावी था। तथापि, सक्षम अधिकारी द्वारा डीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 और 63 के अंतर्गत निर्दिष्ट कर देयता का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी करने की सूचना दी (मई 2025)।

इससे यह संकेत मिलता है कि विभाग के अधिकारी निरस्त करदाताओं की कर देयताओं की गणना/निर्धारण करते समय उनके पास उपलब्ध ईडब्ल्यूबी से संबंधित जानकारी का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं।

(iv) निरस्त करदाताओं की बकाया कर देयता के लिए अनुवर्ती कार्रवाई न करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 के अनुसार, निरस्त करदाता के लिए निरसन की तिथि या निरसन के आदेश की तिथि, जो भी बाद में आता हो, से तीन महीने की अवधि के अंदर जीएसटीआर-10 फॉर्म में अंतिम रिटर्न फाइल करना और अपनी कर देयताओं का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि निरस्त करदाता निर्धारित अवधि के अंदर अंतिम जीएसटीआर-10 रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए जिसमें निरस्त करदाता को 15 दिनों

के अंदर अपना जीएसटीआर-10 रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। यदि निरस्त करदाता नोटिस दिए जाने के बाद भी अपना जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी को अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत सभी प्रासंगिक सामग्री, जो उपलब्ध है या जो उसने एकत्र की है, को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण करने और जिस वर्ष के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया गया है, उस वित्त वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अंदर निर्धारण आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़ने का अधिकार है। यदि निरस्त करदाता अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत निर्धारण आदेश पारित होने के तीन महीने के अंदर अपनी कर देयताओं का भुगतान नहीं करता है, तो सक्षम अधिकारी अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत वसूली संबंधी कार्यवाही शुरू करेगा और अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत निर्धारित एक या अधिक तरीकों से लंबित कर देयता वसूल करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2017 और जनवरी 2021 के बीच 28 करदाताओं (अनुलग्नक 1.12) का पंजीकरण निरस्त किया गया था। इन करदाताओं ने पंजीकरण निरस्त होने से पहले ₹ 734.75 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के 3,629 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, जिन पर ₹ 99.39 करोड़ का कर प्रभाव था, जैसा कि जीएसटीएन पोर्टल पर ईडब्ल्यूबी एमआईएस रिपोर्ट से पता चलता है, तथा उन्हें जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल करके अपनी अंतिम कर देयताओं का भुगतान करना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निरस्त 28 करदाताओं में से किसी ने भी पंजीकरण निरस्त होने के बाद जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल नहीं किया था और विभाग ने करदाताओं की लंबित कर देयताओं का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने 13 मामलों में डीआरसी-01 और आठ मामलों में डीआरसी-07 जारी किए (मई 2025)। सात मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.2: विभाग पंजीकरण निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करने और जहाँ भी लागू हो,

कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

(v) एक ही/समान इनवॉइस पर एकाधिक ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी नियमावली के नियम 46 के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर इनवॉइस जारी किया जाएगा, जिसमें क्रमागत क्रम संख्या होगी, जो सोलह अंक से अधिक नहीं होगी, तथा एक वित्त वर्ष के लिए विशिष्ट होगी।

एनआईसी द्वारा जारी उपयोगकर्ता पुस्तिका के पैरा 5(1) के अनुसार, ईडब्ल्यूबी बनाते समय करदाता को परेषण से संबंधित विशिष्ट दस्तावेज़ संख्या दर्ज करने की आवश्यकता है। इनवॉइस संख्या, आपूर्ति से संबंधित परेषण के संबंध में दस्तावेज़ संख्या होती है। इसलिए, प्रत्येक इनवॉइस के आधार पर केवल एक ईडब्ल्यूबी तैयार करना आवश्यक है।

यह देखा गया कि दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत सात करदाताओं ने 32 इनवॉइस के आधार पर ₹ 1.79 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य और ₹ 0.32 करोड़ के कर (अनुलग्नक 1.13) वाले 65 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे। प्रत्येक इनवॉइस संख्या का उपयोग दो से तीन ईडब्ल्यूबी तैयार करने के लिए किया गया था। चूँकि करदाताओं ने एक ही इनवॉइस का उपयोग करके कई ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, इसलिए करदाताओं द्वारा अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में जावक आपूर्ति की कम रिपोर्टिंग का संभावित जोखिम था। आगे यह देखा गया कि संबंधित करदाताओं ने अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में या तो किसी परेषण की सूचना नहीं दी या केवल एक परेषण की सूचना दी।

इससे ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है, जिससे एक ही/समान इनवॉइस का उपयोग करके अनेक ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर प्रतिबंध लग सके।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने पांच मामलों में डीआरसी-01 और एक मामले में एसएमटी-10 जारी किया (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXX2617 XXXX वाले एक करदाता ने अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान डीजीएसटी नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही इनवॉइस संख्या (12 इनवॉइस), परंतु अलग-अलग वाहन संख्या का उपयोग करते हुए 24 ईडब्ल्यूबी तैयार किए। जीएसटीएन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों की आगे जांच से पता चला कि करदाता द्वारा संबंधित महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किया गया था, इसलिए कोई कर देयता नहीं चुकाई गई। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.3: विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि एकल इनवॉइस से अनेक ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर करदाता और विभागीय अधिकारियों को सचेत किया जा सके।

(vi) संदिग्ध वाहनों के माध्यम से किए गए लेन-देन के लिए ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138(2) के अनुसार, जहाँ वस्तुओं को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक परेषक के रूप में सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है, चाहे वह उसके अपने वाहन से या किराए के वाहन या सार्वजनिक वाहन के माध्यम से हो, वह व्यक्ति फॉर्म के भाग-बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जीएसटी-ईडब्ल्यूबी-01 फॉर्म में ई-वे बिल तैयार करेगा। जहाँ वस्तुओं को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए एक परिवाहक को सौंप दिया जाता है, पंजीकृत व्यक्ति परिवाहक से संबंधित जानकारी सामान्य पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को परिवाहक द्वारा उक्त पोर्टल पर जीएसटी-ईडब्ल्यूबी-01 फॉर्म के भाग-ए में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर तैयार किया जाएगा। फॉर्म के भाग-बी में वाहन संख्या प्रदान करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में 45 करदाताओं से संबंधित 129 ईडब्ल्यूबी के नमूने में शामिल वाहनों के ई-वाहन डाटा का विश्लेषण किया गया, ताकि चोरी के वाहनों, स्ट्रैप

किए गए, परित्यक्त, निरस्त और निलंबित पंजीकरण वाले वाहनों, दो पहिया वाहनों, एक ही दिन में राज्यों में एक ही वाहन का उपयोग करने वाले कई ईड ब्ल्यूबी जैसे जोखिमपूर्ण लेन-देन की पहचान की जा सके।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 11 करदाताओं द्वारा संदिग्ध वाहनों, अर्थात् स्क्रेप किए गए, चोरी किए गए, परित्यक्त, निरस्त और निलंबित पंजीकरण वाले वाहनों आदि का उपयोग करके ₹ 4.72 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के 18 ईडब्ल्यूबी तैयार किए गए थे, जैसा कि अनुलग्नक 1.14 में वर्णित है। अतः इन लेन-देनों की सत्यता की जांच विभाग द्वारा की जानी थी, जो कि नहीं की गई।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने पांच मामलों में डीआरसी-01 और पांच मामलों में डीआरसी-07 जारी किए (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX2772XXXX वाले एक करदाता ने एक ईडब्ल्यूबी तैयार किया, इसे ईडब्ल्यूबी पोर्टल और ई-वाहन के साथ फिर से सत्यापित किया गया। यह देखा गया कि 01 अगस्त 2019 को रात्रि 09.48 बजे वस्तुओं (₹ 39,88,051 मूल्य की) के परिवहन के लिए उपयोग किए गए वाहन (वाहन संख्या यूपी14डीटी9895) को 26 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन विभाग, गाज़ियाबाद द्वारा निलंबित/अयोग्य घोषित किया गया था। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी करने की सूचना दी (मई 2025)।

सिफारिश 1.3.4: विभाग ईडब्ल्यूबी तैयार करने और वस्तुओं के परिवहन के लिए संदिग्ध वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार कर सकता है।

(vii) गलत पिन कोड का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी तैयार करना

डीजीएसटी नियमावली के नियम 138 (9) में यह प्रावधान है कि जहाँ इस नियम के अंतर्गत ईडब्ल्यूबी तैयार किया गया है, परंतु वस्तुओं का परिवहन

नहीं किया गया है या ईडब्ल्यूबी में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया है, तो ई-वे बिल तैयार होने के चौबीस घंटे के अंदर ईडब्ल्यूबी को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जाना है।

यह देखा गया कि चार करदाताओं (अनुलग्नक 1.15) से संबंधित ₹ 0.80 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य और ₹ 0.14 करोड़ के कर वाले आठ ईडब्ल्यूबी अमान्य पिन कोड का उपयोग करके तैयार किए गए थे, अर्थात् वे ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित पते से संबंधित नहीं थे और जिन्हें डीजीएसटी नियमावली के नियम 138(9) के अनुसार ईडब्ल्यूबी तैयार होने के समय से 24 घंटे के अंदर निरस्त किया जाना था।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अमान्य पिन कोड का उपयोग करके वस्तुओं के परिवहन को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल में आवश्यक वैधता नियंत्रण उपलब्ध नहीं हैं।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने एक-एक मामले में एसएमटी-10, डीआरसी-01 और डीआरसी-07 जारी करने की सूचना दी (मई 2025)। शेष एक मामले में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

1.3.10.2 अन्य मुद्दे

(i) आईटीसी का अनियमित लाभ उठाना और उपयोग

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर आईटीसी का हकदार होगा, जिसका उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है या किया जाना है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आईटीसी का दावा अन्य बातों के साथ इस शर्त के अधीन है कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्रभारित कर वास्तव में सरकार को चुकाया गया हो।

लेखापरीक्षा ने आईटीसी लिए जाने जाने की परिशुद्धता की जांच के लिए 45 करदाताओं के रिटर्न की नमूना जांच की। यह पाया गया कि एक करदाता ने उन आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 1.47 लाख के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया था जिनका पंजीकरण पहले ही निरस्त किया गया था (अनुलग्नक 1.16)।

इस मामले को नीचे दर्शाया गया है:

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 41 की उप-धारा (2) के अनुसार, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की ऐसी आपूर्ति के संबंध में उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट, जिस पर देय कर का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया गया है, उक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित तरीके से लागू ब्याज के साथ उत्क्रमित किया जाएगा।

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX3559XXXX वाले एक करदाता के संबंध में, यह देखा गया कि करदाता ने जुलाई 2018 में एक ऐसे करदाता से ₹ 0.75 लाख के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया, जिसका पंजीकरण 01 जुलाई 2017 से निरस्त किया गया था। साथ ही, उस करदाता ने जुलाई 2020 में एक अन्य करदाता से ₹ 0.72 लाख के अनियमित आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया, जिसका पंजीकरण 01 दिसंबर 2019 से निरस्त किया गया था। इस प्रकार, करदाता ने उन करदाताओं से कुल ₹ 1.47 लाख आईटीसी का लाभ उठाया और उसका उपयोग किया, जिनका पंजीकरण निरस्त किया गया था। यह आईटीसी उस पर लागू ब्याज सहित वापस किया जाना था।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

(ii) आईटीसी का अतिरिक्त लाभ उठाना और उपयोग करना

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक, अनिवासी काराधेय व्यक्ति और प्रशमन करदाता या स्रोत पर कर कटौती करने वाला करदाता या स्रोत पर कर संग्रह करने वाले करदाता के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण, निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, उक्त कर अवधि के बाद आने वाले महीने की दसवीं तारीख को या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, जीएसटीआर-2ए रिटर्न प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक प्रणाली-जनित विवरण है, जो

आपूर्तिकर्ता करदाताओं द्वारा प्रस्तुत जावक आपूर्ति के विवरण के आधार पर स्वतः भरा जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 14.99 करोड़ आईटीसी का दावा किया था, जब कि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 5.29 करोड़ था। इस प्रकार, इन तीनों करदाताओं ने ₹ 9.70 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया।

इसके अतिरिक्त, परस्पर पैन विश्लेषण के लिए आठ मामलों का चयन किया गया। प्राप्त किए जाने वाले आईटीसी की परिशुद्धता की जांच करने हेतु इन आठ करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा की गई। यह पाया गया कि आठ में से तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 109.77 करोड़ का आईटीसी प्राप्त किया था। तथापि, जीएसटीआर-2ए के अनुसार केवल ₹ 106.44 करोड़ ही उपलब्ध था। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 3.33 करोड़ का अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त किया गया (अनुलग्नक 1.17)।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 और जनवरी 2024), विभाग ने दो मामलों में डीआरसी-07 जारी किया (मई 2025)। शेष चार मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2025)।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है:

दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXX3874 XXXX वाले एक करदाता ने अप्रैल 2018 और जुलाई 2018 के दौरान जीएसटीआर-3बी रिटर्न में ₹ 5.88 करोड़ के आईटीसी का उपयोग किया, जब कि जीएसटीआर-2ए रिटर्न (तुलनात्मक सारांश के अनुसार) के अनुसार आईटीसी शून्य था। इस प्रकार, जीएसटी रिटर्न के अनुसार प्राप्त और उपलब्ध आईटीसी के बीच ₹ 5.88 करोड़ का अंतर था।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

(iii) अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाना

आठ करदाताओं के रिटर्न को परस्पर पैन विश्लेषण के लिए चुना गया। एक मामले में यह पाया गया कि ₹ 34.40 लाख का आईटीसी प्राप्त किया गया था,

यद्यपि डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अनुसार आईटीसी को अवरुद्ध कर दिया गया था (अनुलग्नक 1.18)।

इस मामले को नीचे दर्शाया गया है:

(i) डीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5)(सी) के अनुसार, कार्य संविदा सेवाओं के संबंध में आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा जब उन्हें किसी अचल संपत्ति (संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर) के निर्माण के लिए आपूर्ति की जाती है, सिवाय इसके कि जहाँ यह कार्य संविदा सेवा की आगे आपूर्ति के लिए एक इनपुट सेवा है।

करदाता के 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए अभिलेखों की जांच से पता चला कि करदाता ने कार्य संविदा सेवाओं के लिए ₹ 34.40 लाख के अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ उठाया था और उसका उपयोग किया था। करदाता की अधिक जांच से पता चला कि उसने कार्य संविदा सेवाओं के अंतर्गत किसी भी आउटपुट सेवा की घोषणा नहीं की थी। इस प्रकार, प्राप्त अस्वीकार्य आईटीसी को लागू ब्याज के साथ वसूल करना आवश्यक है। इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

1.3.10.3 ईडब्ल्यूबी के डाटा विश्लेषण में पाई गई अभ्युक्तियां (समग्र अभ्युक्तियां)

ईडब्ल्यूबी से संबंधित डाटा-बेस से जोखिम आधारित नमूने चुने गए और कुल 28,198 करदाताओं (सीएलएस करदाताओं सहित) का चयन किया गया। लेखापरीक्षा में केपीए के आधार पर अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इन केपीए के अंतर्गत निकाले गए आंकड़ों को समग्र अभ्युक्तियों के रूप में विभाग को आगे की सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए भेजा गया और कृत कार्रवाई पर सारांश रिपोर्ट मांगी गई। विभाग के साथ साझा की गई समग्र अभ्युक्तियों और उन पर प्राप्त उत्तर का विवरण तालिका 1.3.1 में दिया गया है।

तालिका 1.3.1: संपूर्ण विभाग की समग्र अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	समग्र अभ्युक्ति की प्रकृति	करदाताओं की संख्या (टीपी)	सम्मिलित निर्धारण योग्य मूल्य	विभाग का उत्तर			उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है
				स्वीकृत		स्वीकार नहीं किया गया	
				टीपी की संख्या	सम्मिलित कर	टीपी की संख्या	
1	प्रशमन करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय ईडब्ल्यूबी तैयार करना	93	82.67	-	-	-	--
2	निर्धारित अवसीमा पार कर चुके प्रशमन करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना	2	80.20	-	-	-	--
3	जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना	4076	11,635.36	-	-	-	--
4	निरस्त करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार करना	8334	68,680.88	-	-	-	--
5	एक ही इनवॉइस का उपयोग करके डुप्लिकेट ईडब्ल्यूबी तैयार करना	15,693	1664.55	-	-	-	--
कुल		28,198	82,143.66	-	-	-	--

स्रोत: जीएसटीएन डाटा

करदाताओं द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी के संबंध में अखिल राज्यीय डाटा विश्लेषण ने पर्याप्त मौद्रिक मूल्य वाले कई विचलन दर्शाए। उदाहरण के लिए, 8,334 निरस्त करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार किए गए, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 68,680.88 करोड़ था। इसी प्रकार, 4,076 जीएसटी रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी तैयार किए गए, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 11,636.36 करोड़ था। इन बड़े मौद्रिक मूल्य के आँकड़ों से संकेत मिलता है कि जीएसटी प्रणाली और ईडब्ल्यूबी प्रणाली में डाटा इनपुट और सत्यापन के नियंत्रण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 82,143.66 करोड़ का निर्धारण योग्य मूल्य होने के बावजूद, जिसे इंगित किया गया था (दिसंबर 2023), 28,198 करदाताओं से संबंधित अभ्युक्तियों के संबंध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मई 2025)।

1.3.11 विभाग के निवारक कार्य

लेखापरीक्षा ने निवारक इकाइयों के ईडब्ल्यूबी संबंधी कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें (i) प्रचालन तत्परता, और (ii) कर-वंचन निरोधक उपायों की प्रभावशीलता

पर विशेष ध्यान दिया गया। यह देखा गया कि एनआईसी ई-वे बिल लेन-देन पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टें, जैसे कि कुल ईडब्ल्यूबी, अंतर-राज्यीय ईडब्ल्यूबी, ईडब्ल्यूबी की तैयारी और निरसन की रिपोर्टें आदि तैयार करता है और इसे केंद्र और राज्य फार्मेशनों के अंतर्गत जीएसटी विभागों के साथ साझा करता है। इस प्रयोजन के लिए, कर-वंचन निरोधक II -प्रकोष्ठ (निवारक इकाई) के 50 मामलों का चयन किया गया था। लेखापरीक्षा में कर-वंचन निरोधक-II प्रकोष्ठ (निवारक इकाई) द्वारा की गई गतिविधियों में कई कमियाँ देखी गईं, जिनका विवरण आगामी पैराग्राफों में दिया गया है।

1.3.11.1 विभाग की प्रचालन तत्परता

(i) जनशक्ति की पर्याप्तता

निवारक/कर-वंचन निरोधक शाखा के लिए आबंटित जनशक्ति संसाधनों का ईडब्ल्यूबी से संबंधित निवारक कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। निवारक इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान, यह बताया गया कि आयुक्तालय की कर-वंचन निरोधक शाखा में ईडब्ल्यूबी की जांच के लिए कोई पृथक/समर्पित इकाई (जनशक्ति) नहीं थी। यह भी बताया गया कि सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यात्मक कर-वंचन निरोधक प्रकोष्ठ अधिकारियों की कमी के कारण विभिन्न अन्य प्रभार/शाखाओं का कार्यभार भी संभालता है। यह भी बताया गया कि ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए कोई संवर्ग-वार स्वीकृत कर्मचारी संख्या और पदस्थ कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं थी।

(ii) पर्याप्त गश्ती वाहनों का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुक्तालय के ए.ई.-II (निवारक इकाई) ने केवल ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए आबंटित गश्ती वाहनों की स्थिति की जानकारी नहीं दी। इन फार्मेशनों में, सत्यापन कार्य आमतौर पर आयुक्तालय में अन्य प्रयोजनों के लिए किराए पर लिए गए वाहनों का उपयोग करके किया जाता था।

(iii) लक्ष्य और उपलब्धियां

लेखापरीक्षा ने आयुक्तालय के ए.ई.-II (निवारक इकाई) द्वारा वाहन अंतर-अवरोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूबी के सत्यापन हेतु निर्धारित लक्ष्यों और उनके

प्रति उपलब्धियों का विवरण माँगा। विभाग ने कहा कि ईडब्ल्यूबी के सत्यापन हेतु फार्मेशन के पास कोई विशिष्ट या सामान्य लक्ष्य नहीं है।

1.3.12 कर-वंचन निरोधक उपायों की प्रभावशीलता

1.3.12.1 निवारक इकाई द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी और दर्ज किए गए मामले

दिल्ली आयुक्तालय की निवारक इकाई, वस्तुओं की आवाजाही के दौरान निरीक्षण, प्रतिधारण, छुड़ाई और ऐसी वस्तुओं व वाहनों की ज़बती के लिए वाहनों को रोकती है। निवारक इकाई द्वारा 2018-19 से 2021-22 के दौरान किए गए निरीक्षणों और दर्ज मामलों का विवरण तालिका 1.3.2 में दिया गया है।

तालिका 1.3.2: निवारक इकाई द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी और दर्ज किए गए मामलों की संख्या का विवरण

वर्ष	ईडब्ल्यूबी की संख्या (जावक)	ईडब्ल्यूबी की संख्या (आवक)	सत्यापित ईडब्ल्यूबी की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या (भाग-बी)
2018-19	1,48,40,095	3,43,405	1,067	20
2019-20	1,61,71,084	2,94,206	2,187	271
2020-21	1,34,71,591	2,37,760	28,118	997
2021-22	1,53,34,169	3,04,675	31,911	1,046
कुल	5,98,16,939	11,80,046	63,283	2,334
सकल योग	6,09,96,985			

स्रोत: जीएसटीएन डाटा और विभाग का उत्तर

जीएसटीएन डाटा की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान दिल्ली में 6.10 करोड़ ईडब्ल्यूबी (जावक और आवक दोनों आपूर्तियों सहित) तैयार किए गए। इन 6.10 करोड़ ईडब्ल्यूबी में से केवल 63,283 को निवारक इकाई द्वारा सत्यापित किया गया था, जो तैयार किए गए कुल ईडब्ल्यूबी का 0.10 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 63,283 सत्यापित ईडब्ल्यूबी (भाग-ए) में से केवल 2,334 मामले दर्ज किए गए (भाग-बी) जो वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान दिल्ली में सत्यापित कुल ईडब्ल्यूबी का 3.69 प्रतिशत और तैयार किए गए कुल ईडब्ल्यूबी का 0.004 प्रतिशत था।

सिफारिश 1.3.5: विभाग को ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए समर्पित व्यवस्था, पर्याप्त जनशक्ति तथा गश्ती वाहनों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।

1.3.13 निष्कर्ष

ईडब्ल्यूबी वस्तुओं की आवाजाही के लिए आवश्यक एक दस्तावेज़ है और इसे वस्तुओं की आवाजाही से पहले उसका विवरण दर्ज करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया के स्वचालन और मानकीकरण का उद्देश्य कर-अपवंचन पर अंकुश लगाना और जीएसटी संग्रहण को बढ़ाना है। ईडब्ल्यूबी को 01 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के सभी अंतर-राज्यीय वस्तुओं की आवाजाही के लिए लागू किया गया था। दिल्ली में अंतः राज्यीय आवाजाही के लिए, अवसीमा के रूप में ₹ एक लाख तक के परेषण के लिए ईडब्ल्यूबी को अनिवार्य कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी तंत्र और राजस्व संरक्षण में इसकी प्रभावशीलता की जाँच के लिए 2018-19 से 2021-2022 की अवधि से संबंधित 36 करदाताओं के 120 ईडब्ल्यूबी का चयन किया, आठ करदाताओं के आठ अन्य ईडब्ल्यूबी को परस्पर पैर विश्लेषण के लिए चुना गया और उच्च मौद्रिक मूल्य वाले एक ईडब्ल्यूबी का भी चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी का सत्यापन करने वाली एकमात्र कर-वंचन निरोधक इकाई का भी चयन किया और ईडब्ल्यूबी से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चयनित इकाई से 50 दर्ज मामलों की जांच की।

लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी प्रणाली की जांच में प्रणालीगत कमियाँ पाईं, जैसे 'प्रशमन उगाही योजना के अंतर्गत बने रहने वाले अपात्र करदाता'; और 'करदाताओं ने शून्य रिटर्न फाइल किया या ई-वे बिल तैयार करने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किया।' लेखापरीक्षा जांच से 'निरस्त करदाताओं द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिल' की श्रेणियों में अनुपालन विचलन और एक ही इनवॉइस पर कई ईडब्ल्यूबी तैयार करने का भी पता चला। लेखापरीक्षा निष्कर्ष करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विभाग की प्रभावशीलता में कमियों को भी उजागर करते हैं।

लेखापरीक्षा में कर-वंचन निरोधक इकाई द्वारा की गई निवारक और प्रवर्तन गतिविधियों के संबंध में विभाग की प्रचालन तत्परता में कमियाँ भी पाई गईं, जैसे कि पृथक कर्मचारियों का न होना, समर्पित गश्ती वाहनों की अनुपलब्धता, कर-वंचन निरोधक इकाई के लिए ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित न किया जाना आदि।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान तैयार किए गए कुल 6.10 करोड़ ईडब्ल्यूबी में से केवल 63,283 ईडब्ल्यूबी का सत्यापन किया, जो कुल तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी का 0.10 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 63,283 सत्यापित ईडब्ल्यूबी (भाग-ए) में से केवल 2,334 मामले दर्ज किए गए (भाग-बी), जो वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान दिल्ली में सत्यापित कुल ईडब्ल्यूबी का 3.69 प्रतिशत और तैयार किए गए कुल ईडब्ल्यूबी का 0.004 प्रतिशत था।

तदनुसार, लेखापरीक्षा ने विभाग की ईडब्ल्यूबी प्रणाली और अनुपालन सत्यापन तंत्र को मज़बूत करने के लिए निम्नलिखित पांच सिफारिशें दीं।

1.3.14 सिफारिशें- एक दृष्टि में

1. विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि सीएलएस के अंतर्गत करदाताओं के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को अवसीमा पार करने के बारे में सचेत किया जा सके और सीएलएस करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी बनाने से रोका जा सके।
2. विभाग पंजीकरण निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करने और जहाँ भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।
3. विभाग ईडब्ल्यूबी प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल कर सकता है, ताकि एकल इनवॉइस से अनेक ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर करदाता और विभागीय अधिकारियों को सचेत किया जा सके।
4. विभाग ईडब्ल्यूबी तैयार करने और वस्तुओं के परिवहन के लिए संदिग्ध वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार कर सकता है।
5. विभाग को ईडब्ल्यूबी के सत्यापन के लिए समर्पित व्यवस्था, पर्याप्त जनशक्ति तथा गश्ती वाहनों की उपलब्धता की जांच करनी चाहिए।

1.4 वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर अनुपालन लेखापरीक्षा

1.4.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले कई करों का स्थान ले लिया है। जीएसटी 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाने वाला गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य एक साथ एक समान कर आधार पर जीएसटी लगाते हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) अंतःराज्यीय आपूर्ति पर लगाए जाते हैं और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।

दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (डीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 59 जीएसटी को स्व-निर्धारण-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत कर देयता की गणना करने, गणना की गई कर देयता का भुगतान करने और रिटर्न फाइल करने का उत्तरदायित्व करदाता में निहित है। जीएसटी रिटर्न को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन फाइल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर जुर्माना देय होगा। यहाँ तक कि अगर व्यवसाय में किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर देयता नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अतिरिक्त, डीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में अवगत करा सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और व्यापार और कर विभाग (विभाग), रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली के निगरानी तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को लिया गया था।

1.4.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की दिशा में थी। निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा की गई:

- (i) क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर प्रभावी संवीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया था और करदाताओं द्वारा इसका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- (ii) क्या क्षेत्रीय फार्मेशनों की संवीक्षा प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

1.4.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित डाटा विश्लेषण के आधार पर की गई थी, जिसमें जोखिम क्षेत्रों और खतरे के संकेतों को उजागर किया गया। डाटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी), कर देयता के भुगतान, पंजीकरण और रिटर्न फाइल करने के क्षेत्रों में 17 विचलनों की पहचान की गई। इस प्रकार के विचलनों की एक **केंद्रीकृत लेखापरीक्षा** (सीमित लेखापरीक्षा)⁹ के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी, जिसके द्वारा इन विचलनों के बारे में संबंधित विभागीय क्षेत्रीय फार्मेशनों (वार्डों) को सूचित किया गया था और क्षेत्र के दौरो को सम्मिलित किए बिना पहचाने गए विचलनों पर आधिकारिक फार्मेशनों द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया था। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा संपूरित किया गया था जिसमें आधिकारिक क्षेत्रीय फार्मेशनों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र दौरो को सम्मिलित किया गया था। करदाताओं से संबंधित डाटा/दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न और अन्य विभागीय कार्यों) की जांच करने के लिए जितना संभव हो, उतना जीएसटीएन पोर्टल एप्लिकेशन - राज्य कर

⁹ केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) में करदाता के सूक्ष्म अभिलेख जैसे वित्तीय विवरणों से संबंधित खाता बही, इनवॉइस, करार आदि की मांग करना भी सम्मिलित नहीं था।

विभाग के एप्लीकेशन (बीओवेब) की बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से रिटर्न और संबंधित अनुलग्नकों और सूचनाओं तक पहुंची। *विस्तृत लेखापरीक्षा* में करदाताओं से संबंधित क्षेत्रीय फार्मेशनों के माध्यम से इनवॉइस जैसे प्रासंगिक सूक्ष्म अभिलेख तक पहुंच बनाना भी सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, चयनित वार्डों में रिटर्न की संवीक्षा जैसे विभागीय फार्मेशन के अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा रिटर्न की संवीक्षा की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेखों के सत्यापन में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि सम्मिलित थी, जब कि चयनित वार्डों के कार्यों के लेखापरीक्षा में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि सम्मिलित थी। एसएससीए में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को सम्मिलित किया गया था।

इस एसएससीए का प्रवेश सम्मेलन 06 जुलाई 2023 को विशेष आयुक्त (लेखापरीक्षा) के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। फील्ड लेखापरीक्षा सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक की गई थी।

इस एसएससीए का निर्गम सम्मेलन 26 नवंबर 2024 को व्यापार और कर विभाग के आयुक्त के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

1.4.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना बनाने के साथ-साथ मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए डाटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा) के लिए डाटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक समूह सम्मिलित था जिसमें क्षेत्र का दौरा सम्मिलित नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसरों में क्षेत्र का दौरा और करदाताओं के अभिलेखों की संवीक्षा सम्मिलित थी; और वार्डों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वार्डों का एक नमूना सम्मिलित था।

इस एसएससीए के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे:

भाग I - वार्डों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए मामलों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर क्षेत्राधिकार वाले दस वार्डों¹⁰ पर उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए विचार किया गया था।

भाग II - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

डाटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलनों और रिटर्न के बीच विसंगतियों की पहचान करके 285 करदाताओं से संबंधित 487 उच्च मूल्य विसंगतियों के एक नमूने का चयन किया गया था।

भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा

अतिरिक्त आईटीसी, कर देयता बेमेल, कुल टर्नओवर में अनुपातहीन छूट प्राप्त टर्नओवर और अनियमित आईटीसी उत्क्रमण आदि जैसे जोखिम मापदंडों के आधार पर 70 करदाताओं का चयन किया गया था।

इस एसएससीए के लिए चयनित केंद्रीकृत लेखापरीक्षा और विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए नमूनों का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-1.19(ए)** और **अनुलग्नक-1.19(बी)** में दिया गया है।

1.4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों में डीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान सम्मिलित थे। महत्वपूर्ण उपबंध **तालिका-1.4.1** में दिए गए हैं:

तालिका-1.4.1: मानदंड के स्रोत

क्रम सं.	विषय	अधिनियम और नियम
1	उगाही और संग्रहण	डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9
2	उत्क्रम प्रभार प्रक्रिया (आरसीए)	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 5 (3)
3	आईटीसी का लाभ उठाना और उपयोग करना	डीजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; डीजीएसटी नियमावली 2017 के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 22 से 25; डीजीएसटी नियमावली के नियम 8 से 26

¹⁰ 1, 2, 7, 64, 94, 201, 203, 204, 207 और 208

क्रम सं.	विषय	अधिनियम और नियम
5	आपूर्ति	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 और 8, डीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I, II और III
6	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 10-13
7	आपूर्ति का समय	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	डीजीएसटी अधिनियम की धारा 15; डीजीएसटी नियमावली के नियम 27-34
9	कर का भुगतान	डीजीएसटी अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; डीजीएसटी नियमावली के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	जीएसटी रिटर्न फाइल करना	अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; डीजीएसटी अधिनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 और 80 से 81; डीजीएसटी नियमावली के भाग बी में रिटर्न का प्रारूप निर्धारित किया गया है।
11	ज़ीरो-रेटेड आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16
12	निर्धारण और लेखापरीक्षा कार्य	डीजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय XII और XIII के अंतर्गत धारा 61, 62, 65 और 66; डीजीएसटी नियमावली 2017 के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

इसके अतिरिक्त, सीबीआईसी/राज्य कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र जो रिटर्न फाइल करने, विभिन्न रिटर्न फाइल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, रिटर्न फाइल करने की नियत तिथियों को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग करने, रिटर्न की संवीक्षा और कर अनुपालन की निगरानी और रिटर्न फाइल करने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों के निर्देशों वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), रिटर्न की संवीक्षा, पंजीकरण का निरसन और डीजीएआरएम रिपोर्टों का सत्यापन आदि से संबंधित थे, लेखापरीक्षा मानदंड के भाग थे।

1.4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् (क) वार्डों की लेखापरीक्षा, (ख) केंद्रीकृत (सीमित) लेखापरीक्षा, और (ग) विस्तृत लेखापरीक्षा, जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

1.4.6.1 वार्डों की लेखापरीक्षा

वार्डों (विभागीय क्षेत्रीय फार्मेशन) का कार्य करदाताओं द्वारा विभिन्न अनुपालनों पर निगरानी प्रदान करना है। वार्डों में प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जांच की गई।

(i) रिटर्न की संवीक्षा के बाद अनुवर्ती कार्रवाई में विलंब

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 (अधिनियम) की धारा 61 और डीजीएसटी नियमावली, 2017 (नियम) के नियम 99 में सक्षम अधिकारी (वार्ड अधिकारी)

द्वारा रिटर्न की संवीक्षा का प्रावधान है ताकि उनकी सटीकता का सत्यापन किया जा सके और विसंगतियों की सूचना, यदि कोई हो, तो करदाताओं को स्पष्टीकरण हेतु प्रेषित की जा सके। इसके अतिरिक्त, धारा 61(3) में सूचित किए जाने के 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में पंजीकृत व्यक्ति की विफलता या विसंगति को स्वीकार करने के बाद सुधारात्मक उपाय करने में विफलता की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान है।

क) चयनित वार्डों ने करदाताओं की संवीक्षा के संबंध में अभिलेख और सूचना (जून 2023 से मार्च 2024) प्रदान नहीं की। तथापि, एमआईएस रिपोर्ट एसएमटी-3.1 (संवीक्षित मामलों की सूची और उन पर की गई कार्रवाई) से पता चला कि 10 चयनित वार्डों में पंजीकृत 66,671 करदाताओं में से 2020-21 की अवधि के दौरान 5,979 मामलों की संवीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ने 100 करदाताओं से संबंधित 102 मामलों (अनुलग्नक-1.20) की संवीक्षा की ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिटर्न की संवीक्षा के बाद उचित कार्रवाई की गई थी या नहीं। पाई गई अभ्युक्तियां तालिका 1.4.2 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 1.4.2: एसएमटी-3.1 एमआईएस रिपोर्ट से चयनित नमूने में पाई गई अभ्युक्तियां

क्रम सं.	नोटिस/आदेश जारी किया गया	मामलों की संख्या	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	लंबित दिनों की संख्या (फरवरी 2024 तक)
1	एसएमटी-10	61	78.24	183 से 1,295
2	डीआरसी-01	07	82.55	353 से 1,151
3	डीआरसी-07 (वसूली के लिए लंबित मामले)	05	32.12	868 से 1,123
4	19 मामलों में, न्यायनिर्णय की शुरुआत के बाद अंतिम मांग जारी करने के लिए वार्डों द्वारा 1,015 से 1,172 दिन का समय लिया गया।			

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा गया है कि 61 मामलों में, ₹ 78.24 करोड़ की विचलन राशि वाली एसएमटी-10 नोटिस (विसंगतियों की सूचना देने वाली नोटिस) जारी करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये नोटिस आगे की कार्रवाई के लिए लंबित थीं और लंबित दिनों की संख्या 183 से 1,295 तक थी (अनुलग्नक-1.20(ए))। इन 61 मामलों में से 26 मामलों में करदाता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, तथापि वार्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई

(दिसंबर 2023 से मार्च-2024)। सात मामलों में, ₹ 82.55 करोड़ की राशि के डीआरसी-01/कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे। तथापि, ये मामले अंतिम आदेश के लिए लंबित थे, और लंबित दिनों की संख्या 353 से 1,151 तक थी **(अनुलग्नक-1.20(बी))**। पांच मामलों में, ₹ 32.12 करोड़ की राशि के डीआरसी-07 (मांग का सारांश) जारी किए गए थे, तथापि ये मामले 868 से 1,123 दिनों की अवधि के बाद भी एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार वसूली के लिए लंबित थे **(अनुलग्नक-1.20(सी))**। 19 मामलों में, वार्डों को न्यायनिर्णय होने के बाद डीआरसी-07 जारी करने में 1,015 से 1,172 दिन लगे, जिससे वसूली की प्रक्रिया में और विलंब हुआ **(अनुलग्नक-1.20(डी))**।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024), विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया (जुलाई 2025):

अनुलग्नक 1.20(ए) के संबंध में, विभाग ने चार मामलों में डीआरसी-07, दो मामलों में डीआरसी-01, तीन मामलों में एसएमटी-12 (करदाता के उत्तर का स्वीकृति आदेश) जारी किए, दो मामलों में कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया। एक मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा परिप्रश्न जारी करने से पहले ही डीआरसी-07 जारी कर दिया था। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित तीन मामलों में, विभाग ने कहा कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि मामला समय बाधित है। ₹ 71.73 करोड़ की विचलन राशि वाले शेष 46 मामलों का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक 1.20(बी) के संबंध में, विभाग ने एक मामले में डीआरसी-07 जारी किया। ₹ 66.02 करोड़ की विचलन राशि वाले शेष छह मामलों का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक 1.20 (सी) और 1.20(डी) के संबंध में, सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

2017-18 के तीन मामलों के समय-बाधित होने के परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व की संभावित हानि हुई। विभाग को शेष मामलों में कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा करने की आवश्यकता है, अन्यथा ये मामले भी समय-बाधित हो सकते हैं।

ख) लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा संवीक्षित, परंतु कार्रवाई के लिए लंबित मामलों की सूची (एमआईएस रिपोर्ट एसएमटी-3.2) का भी विश्लेषण किया। यह पाया गया कि 7,994 संवीक्षित मामले 120 दिनों से लेकर 1,567 दिनों तक की अवधि के लिए कार्रवाई हेतु लंबित थे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 100 करदाताओं से संबंधित 102 मामलों में जारी कि गई एसएमटी-10 नोटिस और करदाताओं के उत्तरों की जांच की (अनुलग्नक-1.2.1)। इसके परिणाम नीचे तालिका 1.4.3 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.4.3: एसएमटी-3.2 एमआईएस रिपोर्ट से चयनित नमूने में पाई गई अभ्युक्तियां

क्रम सं.	नोटिस/आदेश जारी किया गया	मामलों की संख्या	विचलन राशि (₹ करोड़ में)	नोटिस/अंतिम मांग जारी होने के बाद (फरवरी-2024) वार्डों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से संबंधित दिनों की संख्या
1	एसएमटी-10	76	54.07	120 से 1567
2	डीआरसी-01	03	0.46	958 से 1119
3	डीआरसी-07 (वसूली के लिए लंबित मामले)	1	18.70	702
4	8 मामलों में न्यायनिर्णय शुरू होने के बाद अंतिम मांग जारी करने के लिए वार्डों द्वारा 391 से 1171 दिन का समय लिया गया।			

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि ₹ 54.07 करोड़ की विचलन राशि वाले 76 मामलों में, एसएमटी-10 नोटिस जारी करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। लंबित होने की अवधि 120 से 1,567 दिनों तक थी (अनुलग्नक-1.21(ए))। इन 76 मामलों में से 32 मामलों में, करदाताओं ने उत्तर दिया था, परंतु वार्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीन मामलों में, ₹ 0.46 करोड़ की विचलन राशि वाले डीआरसी-01 जारी किए गए थे और अंतिम आदेश जारी करने के लिए लंबित थे। लंबित होने की अवधि 958 से 1,119 दिनों तक थी (अनुलग्नक-1.21(बी))। यद्यपि इन मामलों में करदाताओं द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया है, वार्ड द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एक मामले में, ₹ 18.70 करोड़ की राशि का डीआरसी-07 (अंतिम मांग) जारी किया गया था और यह मामला 702 दिनों से वसूली के लिए लंबित था (अनुलग्नक-1.21(सी))। आठ मामलों में, वार्डों को न्यायनिर्णय होने के बाद

डीआरसी-07 जारी करने में 391 दिन से 1,171 दिन लगे, जिससे वसूली की प्रक्रिया में और विलंब हुआ (अनुलग्नक-1.21(डी))।

ग) आगे यह पाया गया कि उपर्युक्त 200 करदाताओं में से 26 करदाताओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था (अनुलग्नक-1.21(ई)) और निरसन आदेशों में 'शून्य' मांग निर्धारित की गई थी, जो इस तथ्य के बावजूद था कि इन करदाताओं को ₹ 164.68 करोड़ की विचलन राशि वाली नोटिस जारी की गई थी।

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया (जुलाई 2025):

अनुलग्नक 1.21(ए) के संबंध में, 11 मामलों में, विभाग ने डीआरसी-07 जारी किया और एक मामले में विभाग ने एसएमटी-12 जारी किया। ₹ 44.47 करोड़ की विचलन राशि वाले शेष 64 मामलों का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक 1.21(बी) से 1.21(ई) के संबंध में, सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

(ii) जीएसटी पंजीकरण निरस्त किए जाने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदर पंजीकरण निरस्त करने के लिए पीओ द्वारा आदेश जारी करना डीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 22 (3) के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निरसन की तिथि से या निरसन आदेश की तिथि से, जो भी बाद में आता हो, इस आशय का अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता, डीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 100 के साथ पठित धारा 62 (1) और नियम 81 के साथ पठित डीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 45 के प्रावधानों के अंतर्गत आएगी।

लेखापरीक्षा ने पंजीकरणों के निरसन के लिए सत्यापन तंत्र की समीक्षा करने हेतु 196 करदाताओं का चयन किया, जिनका पंजीकरण 2020-21 में निरस्त कर दिया गया था (120 करदाता (अपने आप से) (अनुलग्नक-1.22(ए)) और 76 करदाता (आवेदन के आधार पर) (अनुलग्नक-1.22(बी)))। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 76 करदाताओं में से 45 मामलों में आवेदन प्राप्त होने के

30 दिनों के अंदर निरसन आदेश जारी नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुल चयनित 196 करदाताओं में से केवल 31 करदाताओं (दो करदाताओं ने अपने आप से निरस्त कर दिया और 29 करदाताओं ने आवेदन पर निरस्त कर दिया) ने पंजीकरण निरस्त करने के बाद जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल किया। दो करदाताओं के पंजीकरण का निरसन वापस ले लिया गया था और शेष 163 करदाताओं (116 करदाताओं ने अपने आप से निरस्त कर दिया और 47 करदाताओं ने आवेदन पर निरस्त कर दिया) के लिए अंतिम रिटर्न फाइल करना 90 दिनों से अधिक समय से लंबित था। अंतिम रिटर्न फाइल करने में विलंब 1,036 से 1,394 दिन तक था (जनवरी-2024) (अनुलग्नक-1.22(सी))। तथापि, रिटर्न फाइल करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद भी वार्डों द्वारा अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित करदाताओं में से, 51 मामलों में, निरसन आदेश जारी होने के बाद ₹ 646.16 करोड़ की विचलन राशि वाली नोटिस अर्थात् एसएमटी-10/डीआरसी-01/डीआरसी-07 (अनुलग्नक-1.22(डी)) जारी की गई थीं और वे अगली आवश्यक कार्रवाई यानी, न्यायनिर्णय, वसूली आदि के लिए लंबित थे। इनमें से 13 मामलों में, ₹ 3.28 करोड़ की राशि की एसएमटी-10 नोटिस निरसन आदेश की तिथि के बाद जारी की गई थी, जिसमें 29 से 343 दिनों का विलंब हुआ था। 22 मामलों में, निरसन आदेश की तिथि के बाद ₹ 205.77 करोड़ की राशि का डीआरसी-01/1ए जारी किया गया था, जिसमें 100 से 1,317 दिनों तक का विलंब था। 16 मामलों में, निरसन आदेश की तिथि के बाद ₹ 437.11 करोड़ की राशि के डीआरसी-07 आदेश जारी किए गए, जिसमें 447 से 1,311 दिनों का विलंब हुआ। लेखापरीक्षा का मत है कि मांग को पंजीकरण निरस्त करने के समय ही निर्धारित किया जा सकता था और आदेश में निर्धारित राशि के रूप में दर्शाया जा सकता था, क्योंकि जिस जानकारी के आधार पर एससीएन जारी किया गया था, वह पंजीकरण निरस्त करने के समय उपलब्ध थी। इस प्रकार, लंबित सरकारी बकाया की वसूली संबंधित करदाताओं से सक्रिय रूप से की जा सकती थी।

जनवरी-फरवरी 2024 में इस के बारे में इंगित किए जाने पर, विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया (जुलाई 2025):

अनुलग्नक 1.22(सी) के संबंध में, नौ मामलों में, विभाग ने डीआरसी-07 जारी किया। 20 मामलों में, विभाग ने करदाताओं के प्रति कोई देयता नहीं पाई, 16 मामलों में विभाग को जीएसटी पोर्टल में कोई विवरण नहीं मिला। तीन मामलों में, विभाग को करदाता द्वारा फाइल किया गया कोई रिटर्न नहीं मिला। शेष 115 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

अनुलग्नक 1.22(ए), 1.22(बी) और 1.22(डी) के संबंध में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।

सिफारिश 1.4.1:

- **विभाग यह सुनिश्चित करे कि करदाताओं को नोटिस और मांगों की सूचना जारी करने में विलंब से बचा जाए।**
- **विभाग पंजीकरण निरस्त करने के समय देयता का निर्धारण सुनिश्चित करे और चुककर्ता करदाताओं के साथ सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे।**

(iii) आंतरिक लेखापरीक्षा

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, एक सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का ऐसी अवधि के लिए, इतनी आवृत्ति पर और ऐसे तरीके से लेखापरीक्षा कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जाए। डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) "लेखापरीक्षा" को घोषित कुल टर्नओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए प्रतिदाय और प्राप्त आईटीसी की सटीकता की जांच करने हेतु पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अनुरक्षित या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है और इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उसके द्वारा अनुपालन का आकलन करने के लिए किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चयनित करदाताओं की सूची लेखापरीक्षा विंग और लेखापरीक्षा के लिए चयनित वार्डों से लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ मांगी गई थी।

विभाग के लेखापरीक्षा विंग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में बताया कि 2021-22 से 2022-23 की अवधि के दौरान 43 वार्डों के 101 करदाताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। तथापि, विभाग ने चयनित करदाताओं से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावोत्पादकता और प्रभावकारिता के बारे में राय नहीं बना सका।

सितंबर 2024 में विभाग को इसके संबंध में बताया गया है, परंतु विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है (जुलाई 2025)।

1.4.6.2 जीएसटी रिटर्न में विसंगतियां - केंद्रीकृत लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 से संबंधित जीएसटी रिटर्न डाटा का विश्लेषण किया और करदाताओं द्वारा फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 17 मापदंडों के एक सेट पर डाटा प्रश्नों के साथ की गई, जिसे मोटे तौर पर दो डोमेन- आईटीसी और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

13 निर्धारित जीएसटी रिटर्न¹¹ में से, सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल रिटर्न पर जीएसटी रिटर्न/डाटा के बीच विचलनों, विसंगतियों और बेमेल की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था।

- जीएसटीआर-1: वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा मासिक रिटर्न फाइल किया जाना है और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण होता है।
- जीएसटीआर-2(ए): प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का सिस्टम-जनित रिटर्न। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के फॉर्म जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-5 में

¹¹ जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (सीएलएस के अंतर्गत करदाता), जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (यूआईएन रखने वाला और प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08 और आईटीसी-04 (एक प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा एक जॉब-वर्कर को भेजे गए/प्राप्त किए गए सामानों के विवरण के बारे में फाइल किया जाने वाला विवरण)

घोषित सभी बी2बी¹² लेन-देन, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, दूसरे पक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और आगम पत्र पर विदेशों से वस्तुओं के आयात का विवरण सम्मिलित है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के आईसीईजीएटीई¹³ पोर्टल से प्राप्त होता है।

- जीएसटीआर-3(बी): यह अधिनियम की धारा 39 (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा जमा किए जाने वाले कर के भुगतान के साथ-साथ जावक आपूर्ति और दावा किए गए आईटीसी का मासिक सारांश विवरण है। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता-बही में डेबिट को भर देता है।
- जीएसटीआर-5: अनिवासी करदाताओं द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की जावक आपूर्ति सम्मिलित हैं।
- जीएसटीआर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न जो उनके वितरित आईटीसी और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर-7: उन व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न जो प्राप्त आवक आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने/जमा करने के समय कर की कटौती करते हैं।
- जीएसटीआर-8: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा फाइल किया जाने वाला मासिक रिटर्न जिन्हें जीएसटी, जो अक्टूबर 2018 में लागू किया गया था, के अंतर्गत टीसीएस (स्रोत पर संगृहीत कर) की कटौती की आवश्यकता होती है।
- जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता को छोड़कर सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक रिटर्न फाइल किया जाएगा। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों

¹² बिज़नेस टू बिज़नेस

¹³ भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे

(सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) के अंतर्गत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों के साथ-साथ कुल बिक्री और उससे संबंधित लेखापरीक्षा विवरण भी सम्मिलित हैं।

- जीएसटीआर-9सी: यह किसी विशेष वित्त वर्ष में ₹ 5 करोड़ से अधिक कुल बिक्री वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म है। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में फाइल किए गए वार्षिक रिटर्न और करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच एक समाधान विवरण है।

चिह्नित किए गए 17 मापदंडों और उन पर पड़े प्रभावों के डाटा विश्लेषण का विवरण तालिका 1.4.4 (ए) और 1.4.4 (बी) में दिया गया है।

तालिका 1.4.4 (ए): किए गए डाटा विश्लेषण का विवरण

क्रम सं.	उपयोग किया गया एल्गोरिथ्म	जोखिम जिनका विश्लेषण किया गया
डोमेन: आईटीसी		
1.	अपने सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना तालिका 4ए (5) (घरेलू आपूर्ति पर उपाजित) में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी, जिसमें तालिका 4बी (2) में उत्क्रमण को छोड़कर, लेकिन जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी से बाद के वर्ष में प्राप्त आईटीसी और अवरुद्ध क्रेडिट सम्मिलित थे।	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी बेमेल
2.	जीएसटीआर-2ए से उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए से की गई थी, जो जीएसटीआर-2ए (स्वचालित रूप से भरे जाने वाले गैर-संपादन योग्य क्षेत्र के रूप में) से उपलब्ध आईटीसी दर्ज किया जाता है, लेकिन जीएसटीआर-2ए में उन प्रविष्टियों को सम्मिलित नहीं करती हैं, जहाँ आपूर्तिकर्ता ने अपनी फाइलिंग की नियत तारीख तक जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया है और उस अवधि के लिए आईटीसी को भी सम्मिलित नहीं करता है, जिसके दौरान प्राप्तकर्ता करदाता कम्पोजीशन लेवी योजना (सीएलएस) के अंतर्गत था।	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना आईटीसी हस्तांतरित कर दिया गया
3.	वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से अगले वर्ष अक्टूबर के बाद फाइल किए गए आईटीसी का लाभ उठाया गया	विच्छेदक अवधि के बाद फाइल किए गए जीएसटीआर-3बी में आईटीसी का लाभ उठाया गया।
4.	प्राप्तकर्ता की जीएसटीआर-9 तालिका 6जी या जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आईएसडी आईटीसी की तुलना वितरक जीएसटीआईएन की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग से की गई थी	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना
डोमेन: वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण (एफएस)		
5.	जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में सकारात्मक आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 13 में दिए गए कारणों की जांच	वार्षिक रिटर्न और बहीखातों के बीच प्राप्त आईटीसी का बेमेल
6.	जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी में सही आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जांच	वित्तीय विवरणों में खर्च के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी के बीच समाधान
7.	जीएसटीआर-9सी तालिका 9 आर में नकारात्मक आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 10 में दिए गए कारणों की जांच	लेखा पुस्तकों और रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में बेमेल

क्रम सं.	उपयोग किया गया एल्गोरिथ्म	जोखिम जिनका विश्लेषण किया गया
डोमेन: कर और ब्याज भुगतान		
8.	जीएसटीआर-9 तालिका 4जी (देय कर) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी, 6डी और 6एफ (प्राप्त आईटीसी) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। ऐसे मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी 4(ए)(2) और 4(3) से की गई थी। जहाँ दोनों जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी उपलब्ध थे, वहाँ दोनों के अंतर में से जो अधिक या उसे माना गया।	जीएसटीआर-3ख/जीएसटीआर-9 में प्राप्त आरसीएम बनाम आईटीसी के अंतर्गत कर का अल्प भुगतान
9.	अग्रिम और संशोधनों पर विचार करते हुए, जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) और जीएसटीआर-9 (तालिका 4एन, 10 और 11) में से जो भी अधिक कर देयता थी की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (ए) और 3.1 (बी) में कर भुगतान किए गए विवरण के साथ की गई थी। ऐसे मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, भुगतान किए गए जीएसटीआर-3बी कर की तुलना जीएसटीआर-1 देयता से की गई थी।	अभुक्त देनदारियाँ
10.	जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(ए)+(बी) की तुलना ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) में घोषित कर देयता के साथ की गई थी और ऐसे मामलों की पहचान की गई है जहाँ जीएसटीआर-3बी ईडब्ल्यूबी से कम हैं।	ईडब्ल्यूबी सत्यापन के आधार पर कर देयता का दमन
11.	ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8 1 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हो गया जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हुए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो सीएलएस के अंतर्गत जीएसटीआर-4/सीएमपी-08 भी फाइल कर रहे हैं।	सीएलएस करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं
12.	सीएलएस करदाताओं की पहचान की गई, जिनके एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार (केंद्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार) पर कुल बिक्री 2018-19 में ₹ 1 करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ की कुल बिक्री सीमा को पार कर गया है।	सीएलएस के अंतर्गत बने रहने के लिए अपात्र करदाता
13.	जिन करदाता ने जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर-1 फाइल किया है या जहाँ जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, वे करदाताओं को कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय करने का संकेत देते हैं।	जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है।
14.	जीएसटीआर-3बी को विलंब से फाइल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाती है, अर्थात् जीएसटीआर-3बी में घोषित ब्याज	ब्याज का कम भुगतान

तालिका 1.4.4 (बी): किए गए डाटा विश्लेषण का विवरण (टर्नओवर बेमेल)

क्रम सं.	उपयोग किया गया एल्गोरिथ्म	जोखिम जिनका विश्लेषण किया गया
15.	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 (ए) की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के कॉलम 6 से की गई। ऐसे मामलों की पहचान की जाती है जहाँ जीएसटीआर-3बी मूल्य जीएसटीआर-2ए से कम हैं।	कर योग्य आपूर्तियों की कम घोषणा का पता लगाने के लिए टीडीएस रिटर्न की तुलना करना
16.	जीएसटीआर-9सी तालिका 5बी में वर्ष की शुरुआत में बिल रहित राजस्व तालिका 5एच में दिखाए गए पिछले जीएसटीआर-9सी के बिल रहित राजस्व के साथ मेल खाना चाहिए। कोई भी बेमेल कर योग्य टर्नओवर के छिपाने का संकेत है।	जीएसटीआर-9सी में घोषित बिल रहित राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य के छिपाना
17.	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में नकारात्मक आंकड़ा और बेमेल के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की संवीक्षा	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य कुल बिक्री में बेमेल

राज्यव्यापी डाटा विश्लेषण ने पर्याप्त मौद्रिक मूल्यों के साथ विचलन का पता चला जो बुनियादी सत्यापन नियंत्रणों की कमी को इंगित करता है।

दिल्ली राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित 17 चिह्नित किए गए मापदंडों पर आधारित आंकड़ों का राज्यव्यापी विश्लेषण और देखी गई विचलन/विसंगतियों की सीमा को **अनुलग्नक 1.23** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

(ए) विभाग द्वारा उत्तर की गैर-प्रस्तुती

2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए 17 मापदंडों के प्रति विचलन/विसंगतियों को दर्शाने वाले 285 करदाताओं से संबंधित 487 मामलों में संबंधित वार्डों (जून 2023 से नवंबर 2023) को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे।

360 विसंगतियों (टर्नओवर में बेमेल से संबंधित 41 विसंगतियों सहित) के लिए प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा (दिसंबर 2024) की जा रही थी जिनमें 319 मामलों में देय कर आईटीसी में ₹ 5,293.68 करोड़ की राशि के बेमेल (**अनुलग्नक-1.24**) और 41 विसंगतियों से संबंधित ₹ 9,742.01 करोड़ के टर्नओवर का बेमेल (**अनुलग्नक-1.25**) शामिल हैं।

सिफारिश 1.4.2: विभाग लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए जीएसटी रिटर्न में विसंगतियों और विचलन के 360 मामलों को तत्काल आगे बढ़े, जिनके लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान नहीं की गई हैं और परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करे।

(बी) केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों के लिए विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर, अनुपालन विचलन में परिवर्तित 17 मापदंडों में से प्रत्येक को **अनुलग्नक-1.26** और **अनुलग्नक-1.27** में पैरामीटर वार दर्शाया गया है।

केंद्रीय लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 487 मामलों में से, विभाग ने 127 मामलों (26.07 प्रतिशत) में प्रतिक्रिया प्रदान की, जिसमें कर भुगतान के लिए आईटीसी के ₹ 3,224.43 करोड़ (**अनुलग्नक-1.26**) के बेमेल के 115 मामले और ₹ 1,977.80 करोड़ के कारोबार के बेमेल के 12 मामले सम्मिलित हैं (**अनुलग्नक-1.27**)। इन 127 मामलों में से, विभाग ने 91 मामलों (71.65 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और

74 मामलों में एससीएन जारी करने के रूप में सुधार की कार्रवाई शुरू की और 17 मामलों में एसएमटी-10 जारी किया। 28 मामलों में, जो 22.04 प्रतिशत हैं, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य था। इन मामलों में डाटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित मामले और ऐसे मामले सम्मिलित थे जहाँ लेखापरीक्षा प्रश्न आदि से पहले कार्रवाई की गई थी। शेष आठ मामलों (6.30 प्रतिशत) में, विभाग ने केवल दस्तावेजों या अपनी टिप्पणियों के बिना करदाताओं के स्पष्टीकरण को अग्रणी किया।

प्रत्येक आयाम के अंतर्गत एक मामला, जहाँ विभाग ने सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, का विवरण **अनुलग्नक-1.28** में दिया गया है। इन मामलों का सार नीचे दिया गया है।

(i) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी बेमेल

जीएसटीआर-2ए एक खरीद से संबंधित गतिशील कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर-3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें घोषित आईटीसी के साथ बाह्य आपूर्ति का सारांश और करदाता द्वारा स्व-घोषित कर का भुगतान किया जाता है।

प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए से संबंधित डाटा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना इसके सभी संशोधनों के साथ करना था और आईटीसी को तालिका 4 ए (5) में जीएसटीआर-3बी में प्राप्त किया गया था, जिसमें 4 (डी) अवरुद्ध क्रेडिट और बाद के वर्ष जीएसटीआर-9 की तालिका 8 सी से सम्मिलित थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड 12 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडएच के मामले में, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 'शून्य' था और जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 33.18 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान

₹ 33.18 करोड़ की आईटीसी का लाभ नहीं हुआ, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया था (जुलाई 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि करदाता को ₹ 70.17 करोड़ की मांग का निर्धारण करने वाले फॉर्म डीआरसी-07 (अप्रैल 2024) में आदेश का सारांश जारी किया गया था।

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना आईटीसी का लाभ उठाया गया

प्राप्तकर्ता करदाता का जीएसटीआर-2ए आपूर्तिकर्ता करदाताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1 में प्रकटीकरण के आधार पर तैयार किया जाता है। आपूर्तिकर्ता करदाताओं को जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करके अपनी कर देनदारियों का निर्वहन करना आवश्यक है। जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए में अगले वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक लिए गए आंकड़ों की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 3 से 6 के साथ की गई थी¹⁴। विचलन जोखिम को इंगित कर सकते हैं जहाँ करदाता द्वारा कर का वास्तविक भुगतान किए बिना ही आईटीसी आगे बढ़ा दिया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड 02 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडसी के मामले में, जीएसटीआर-2क के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 15.09 करोड़ था और तालिका 8ए जीएसटीआर-9 में दर्शाया गया आईटीसी ₹ 5.05 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 10.04 करोड़ की आईटीसी का लाभ नहीं हुआ, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (अगस्त 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा (अगस्त 2023) कि फॉर्म एसएमटी-10 (अगस्त 2023) में विसंगति की सूचना देने वाला नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(iii) सीमा अवधि के बाद आईटीसी का लाभ लिया गया

डीजीएसटी अधिनियम में आईटीसी का लाभ केवल उस वित्तीय वर्ष के अंत के बाद सितंबर महीने के लिए जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक, जिससे ऐसा आईटीसी संबंधित है या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने से संबंधित है, जो भी पहले हो, का प्रावधान है। तदनुसार, यदि ऐसे समय के

¹⁴ पुराने जीएसटीआर-2ए प्रारूप की तालिका 3 और 5।

बाद कोई जीएसटीआर-3बी प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें प्राप्त आईटीसी अस्वीकार्य हो जाता है। इस खाते पर प्राप्त अतिरिक्त/अनियमित आईटीसी की सीमा की समीक्षा करने के लिए, करदाता द्वारा अगले वर्ष सितंबर जीएसटीआर-3बी रिटर्न की अंतिम तिथियों के बाद 2018-19 से 2020-21 तक जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से प्राप्त आईटीसी की पहचान डाटा स्तर पर की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 98 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडजी के मामले में, करदाता द्वारा अगले वर्ष के सितंबर जीएसटीआर-3बी रिटर्न की नियत तारीखों के बाद प्राप्त आईटीसी ₹ 24.12 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 24.12 करोड़ की आईटीसी का लाभ नहीं उठाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया था (जून 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि फॉर्म डीआरसी-01ए (नवंबर 2023) में पूर्व कारण बताओ प्री कॉज शो नोटिस (एससीएन) सूचना, करदाता को ₹ 51.39 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(iv) आईएसडी क्रेडिट का लाभ उठाने में बेमेल

यह विश्लेषण करने के लिए कि करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा अंतरित राशि से अधिक है या नहीं, करदाता के जीएसटीआर-3बी रिटर्न में घोषित आईटीसी की तुलना आईएसडी द्वारा उनके जीएसटीआर-6 में हस्तांतरित आईटीसी से की जाती है। अपनाई गई पद्धति इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका 6¹⁵ जी या जीएसटीआर-3 बी की तालिका 4(ए)(4)¹⁶ की तुलना संबंधित आईएसडी की तालिका 5ए¹⁷, तालिका 8ए¹⁸ और जीएसटीआर-6 की तालिका 9ए¹⁹ के योग के साथ करना था।

¹⁵ आईएसडी से आईटीसी प्राप्त हुआ।

¹⁶ आईएसडी से आवक आपूर्ति।

¹⁷ कर अवधि के लिए पात्र आईटीसी की राशि का वितरण।

¹⁸ आईटीसी के बेमेल को पुनः प्राप्त और वितरित किया गया।

¹⁹ गलत प्राप्तकर्ता को वितरित आईटीसी का पुनर्वितरण।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 96 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडके के मामले में, जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी में प्राप्त आईटीसी ₹ 2.46 करोड़ था और जीएसटीआर-6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा अंतरण आईटीसी ₹ 2.01 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 0.45 करोड़ की आईटीसी का बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को (जुलाई 2023) सूचित किया गया। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि फॉर्म डीआरसी-01 (नवंबर 2023) में कारण बताओ (एससीएन), करदाता को ₹ 0.99 करोड़ की मांग का निर्धारण किस प्रकार से जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(v) कर के भुगतान में बेमेल

वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में भुगतान किए गए कर में चिह्नित किए गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत जीएसटीआर-9सी समाधान विवरण की तालिका 9 से संबंधित प्रासंगिक डाटा बिंदुओं का आंकड़ों के स्तर पर विश्लेषण किया गया था। जीएसटीआर-9सी में कर भुगतान की गई राशि के गलत प्रकटीकरण की संभावना को दूर करने के लिए, राशि की तुलना जीएसटीआर-9 में वास्तविक कर भुगतान विवरण के साथ भी की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 101 के अंतर्गत 07XXXXXXXXXX1जेडक्यू के मामले में, वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में घोषित कर का भुगतान असंगत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.40 करोड़ की राशि का कर बेमेल पाया गया, जिसे विभाग (जुलाई 2023) को सूचित किया गया था। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (जनवरी 2024) कि डीआरसी-01 (जनवरी 2024), ₹ 11.06 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(vi) आरसीएम के अंतर्गत कर के भुगतान में बेमेल

आरसीएम में, डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) या धारा 9 (4) के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं की कुछ श्रेणियों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता

के बजाय माल या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर-3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 से संबंधित डाटासेट की तुलना यह जांचने के लिए की गई थी कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी भुगतान किए गए कर की निर्धारित सीमा तक सीमित है या नहीं। अपनाई गई कार्यप्रणाली जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतानों की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका 6सी²⁰, 6डी²¹ और 6एफ²² में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। जिन मामलों में जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जाँच को जीएसटीआर-3बी तक सीमित रखा गया, जहाँ जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (डी) में कर मुक्ति वाले भाग की तुलना जीएसटीआर-3बी 4ए (2)²³ और 4ए (3)²⁴ के आईटीसी प्राप्त करने वाले भाग से की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 88 के अंतर्गत करदाता 07XXXXXXXXXX1जेडआई के मामले में, जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में उपलब्ध आईटीसी ₹ 'शून्य' था, लेकिन जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में प्राप्त आईटीसी ₹ 7.30 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त आईटीसी राशि ₹ 7.30 करोड़ के बीच थी बेमेल पाया गया, जिसकी सूचना विभाग को दी गई (जुलाई 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने बताया (मई 2025) कि करदाता को ₹ 12.48 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-07 (नवंबर 2024) जारी किया गया था।

(vii) कर देयता की संक्षिप्त घोषणा

जीएसटीआर-1 में वस्तुओं या सेवाओं की जावक आपूर्ति का मासिक विवरण दर्शाया गया है। इस विवरण का करदाता द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 संबंधित कॉलम में उल्लेख किया जाता है।

²⁰ उत्क्रमण प्रभाव के लिए उत्तरदायी अपंजीकृत व्यक्तियों से आवक आपूर्ति प्राप्त होती है।

²¹ उत्क्रमण प्रभाव के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

²² सेवाओं का आयात।

²³ सेवाओं का आयात।

²⁴ आवक आपूर्ति (उत्क्रमण प्रभाव के लिए उत्तरदायी)।

इसके अतिरिक्त, कर योग्य मूल्य और उसके भुगतान किए गए कर को भी जीएसटीआर-3बी में दिखाया गया है।

अप्राप्त-कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 से प्रासंगिक डाटा निकाला गया था और इस रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में घोषित कर से की गई थी। जहाँ जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहाँ जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी के बीच देय कर की तुलना की गई। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर-1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया। कर के कम भुगतान की पहचान करने के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के बीच कर देनदारी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर से की गई थी। जीएसटीआर-3बी के मामले में, **तालिका 6.1 घटाकर तालिका 3.1 (डी) को घटाकर गणना की गई।**

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 79 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडयू के मामले में, जीएसटीआर-1 की तालिका 4 से 11 में देय कर ₹ 76.86 करोड़ था और जीएसटीआर-9 के अनुसार दिखाई गई देयता शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 76.86 करोड़ की कर देयता में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि करदाता को ₹ 129.32 करोड़ की मांग निर्धारित करते हुए डीआरसी-07 (अगस्त 2024) जारी किया गया था।

(viii) **ईडब्ल्यूबी की तुलना में कर योग्य मूल्य को छिपाना**

कर के कम-भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक डाटा की तुलना ईडब्ल्यूबी में किए गए प्रकटीकरण से की गई थी। एल्गोरिथ्म के लिए, ऐसे मामले जहाँ जीएसटीआर-3बी की **तालिका 3.1 (ए) + (बी)** में घोषित कर देय ईडब्ल्यूबी में घोषित कर देयता से कम थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 77 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX4जेडजी के मामले में, जीएसटीआर-3बी की **तालिका 3.1**

(ए) + (बी) में देय कर ₹ 0.91 करोड़ था और ईडब्ल्यूबी की देयता ₹ 97.24 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 96.33 करोड़ की कर देयता का बेमेल पाया गया, जिसकी सूचना विभाग को (जून 2023) दी गई। उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि ₹ 186.06 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-07 (अगस्त 2024) करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

(ix) सीएलएस के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी

आंकड़ों के स्तर पर, लेखापरीक्षा ने उन सीएलएस करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया, जिन्होंने अपनी आपूर्ति करने के लिए ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा फाइल जीएसटीआर 8 और सीएलएस करदाताओं द्वारा फाइल सीएमपी-08 से संबंधित डाटासेट की तुलना यह संवीक्षा ने के लिए की गई थी कि क्या जीएसटीआर 8 में उल्लिखित प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन ने भी सीएमपी-08 फाइल किया है। सीएलएस के लाभ का अनियमित रूप से लाभ उठाने के अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि इनमें से अधिकांश करदाताओं से संबंधित जीएसटीआर 8 रिटर्न में ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता द्वारा घोषित टर्नओवर सीएलएस के लिए करदाताओं द्वारा उनके सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक है, इसलिए कर के कम भुगतान की भी संभावना हो सकती है।

वार्ड 84 के अंतर्गत जीएसटीआईएन- 07XXXXXXXXXX1जेडबी के मामले में, लेखापरीक्षा ने विभाग (अगस्त 2023) को सूचित किया कि सीएलएस करदाता ने वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी आपूर्ति करने के लिए ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठाया। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (मई 2025) कि करदाता को ₹ 1.29 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-01 (मई 2025) जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

(x) जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-1/2ए उपलब्ध है

आंकड़ों के स्तर पर यह पता चला है कि करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है लेकिन जीएसटीआर-1 फाइल किया है। जीएसटीआर-3बी रिटर्न

एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देयता की भरपाई की जाती है और आईटीसी का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2ए की उपलब्धता और जीएसटीआर-3बी फाइल न करना यह दर्शाता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय किया था, लेकिन उन्होंने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया है। इसमें आईटीसी के अनियमित हस्तांतरण के मामले भी सम्मिलित हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 41 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडटी के मामले में, 2019-20 में जारी चालान से संबंधित बाद के वर्षों में किए गए संशोधनों सहित जीएसटीआर-1 में करदाता द्वारा घोषित देयता ₹ 16.77 करोड़ बनती है, तथापि, जीएसटीआर-3बी में दिए गए कर आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर को छोड़कर शून्य रुपये था (जिसे जीएसटीआर-1 में घोषित नहीं किया गया है)। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.77 करोड़ की कर देयता में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा (जुलाई 2023) कि एसएमटी-10 (जुलाई 2023) विसंगति के कारणों की मांग करते हुए जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(xi) विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान

डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे उस अवधि के लिए, कर या उसके किसी भी भाग का भुगतान नहीं किया गया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के प्रेषण में विलंब के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान के विवरण और जीएसटीआर-3बी फाइल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज की गणना के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

वार्ड 101 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड5 के मामले में, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटीआर-3बी को विलंब से फाइल करने के कारण ₹ 1.12 करोड़ का ब्याज का कम भुगतान पाया, जिसकी सूचना विभाग को (अगस्त 2023) दी गई। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि करदाता को ₹ 1.12 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए डीआरसी-01 (अक्टूबर 2023) जारी कर दिया गया। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षित है (जुलाई 2025)।

(xii) टीडीएस/टीसीएस घोषणा के माध्यम से पहचान किए गए कर योग्य मूल्य को छुपाना

वस्तु एवं कर में टीडीएस से तात्पर्य खरीददार द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते समय स्रोत पर काटे गए कर से है। यह लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है। वस्तु एवं कर में टीसीएस ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा स्रोत पर एकत्र किया गया कर है। एकत्रित राशि सरकार के पास जमा की जाती है।

टीडीएस²⁵ और टीसीएस²⁶ का विवरण क्रमशः जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 में घोषित किए जाते हैं और जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किए जाते हैं। ऐसे मामलों की पहचान की गई जहाँ जीएसटीआर-3बी में कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड, शून्य रेटेड और छूट के अतिरिक्त) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य जीएसटीआर-2 की तालिका 9 के अनुसार टीसीएस और टीडीएस क्रेडिट के लिए उत्तरदायी देय राशि से कम थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड 03 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेड3 के मामले में, कर योग्य आपूर्तियों का बाह्य मूल्य ₹ 32.80 करोड़ था और जिस मूल्य पर टीडीएस/टीसीएस वसूला गया उसका मूल्य ₹ 67.27 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 34.47 करोड़ की कर योग्य मूल्य का बेमेल हुआ, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (जून 2025)

²⁵ स्रोत पर कर कटौती

²⁶ स्रोत पर एकत्र किया गया कर

कि डीआरसी-07 (अगस्त 2024) करदाता को ₹ 13.85 करोड़ की मांग का निर्धारण करता है।

(xiii) कर योग्य मूल्य को छिपाना (राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है)

वित्त वर्ष विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए कर योग्य टर्नओवर में चिह्नित किए गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए डीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 80 (3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है के प्रकटीकरण से संबंधित जीएसटीआर-9सी समाधान विवरण की तालिका 5 से संबंधित प्रासंगिक डाटा बिंदुओं के आंकड़ों के स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी²⁷ के आंकड़े, जो वित्त वर्ष की शुरुआत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है को दर्शाते हैं, की तुलना पिछले वर्ष के तालिका 5एच²⁸ जीएसटीआर-9सी रिटर्न से की गई थी, जो वर्ष के अंत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है को दर्शाता है ताकि वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित टर्नओवर में चिह्नित किए गए बेमेल की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 52 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडO के मामले में, वर्ष 2017-18 के अंत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है ₹ 30.47 करोड़ था, जबकि वर्ष 2018-19 की शुरुआत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है शून्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.48 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 30.47 करोड़ के टर्नओवर में बेमेल पाया गया, जिसे विभाग को (जुलाई 2023) सूचित किया गया था। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि डीआरसी-01 (दिसंबर 2023) ₹ 10.97 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

²⁷ वित्त वर्ष की शुरुआत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है

²⁸ वित्त वर्ष के अंत में राजस्व जिसके लिए बिल जारी करना शेष है

(xiv) असमायोजित कर योग्य टर्नओवर

वित्तीय विवरणों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट किए गए कर योग्य टर्नओवर में चिह्नित किए गए बेमेल की सीमा की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए डीजीएसटी नियम, 2017 के 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत जीएसटीआर-9सी समाधान विवरण की तालिका 5 और 7 से संबंधित प्रासंगिक डाटा बिंदुओं के आकड़ों के स्तर पर विश्लेषण किया गया था।

वार्ड 28 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडके के मामले में, लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में कर योग्य टर्नओवर का भुगतान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 15 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 83.31 करोड़ के टर्नओवर में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को (जुलाई 2023) सूचित किया गया। इसके उत्तर में, विभाग ने कहा (नवंबर 2023) कि डीआरसी-01 (नवंबर 2023), ₹ 24.54 करोड़ की मांग का निर्धारण करते हुए करदाता को जारी किया गया था। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(सी) कारण कारकों का विश्लेषण

487 डाटा विचलन/विसंगतियों के नमूने में से 127 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, डाटा विचलन/विसंगतियों के कारण बनने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

(i) जीएसटी कानून और नियमों से विचलन

(ए) ऐसे मामले जहाँ विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया

जिन 127 मामलों में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं, उनमें से विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया है और 91 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें ₹ 2,930.52 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है। इनमें से, विभाग ने 74 मामलों (अनुलग्नक-1.29) में ₹ 2,656.65 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया है और ₹ 273.87 करोड़ की राशि के 17 मामलों में फॉर्म एसएमटी-10 में करदाता को बेमेल से अवगत कराते हुए नोटिस जारी की है (अनुलग्नक-1.30)। एक उदाहरण के मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

- लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्ड 65 के अंतर्गत जीएसटीआईएन 07XXXXXXXXXX1जेडई के मामले में, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 की तुलना के कारण बकाया कर देयता का कम भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 72.47 करोड़ की कर देयता में बेमेल पाया गया, जिसके बारे में विभाग को सूचित किया गया (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने कहा कि करदाता को ₹ 138.36 करोड़ की मांग का निर्धारण करने के लिए डीआरसी-01ए (कारण बताओ नोटिस) जारी किया गया था (अक्टूबर 2023)। इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

(बी) ऐसे मामले जहाँ विभाग का उत्तर सहायक दस्तावेजों या उसकी टिप्पणियों के बिना था

जिन 127 मामलों में विभाग ने उत्तर दिया था, उनमें से विभाग ने ₹ 86.79 करोड़ की राशि के आठ मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया। इन मामलों में, विभाग ने दस्तावेजों या अपनी टिप्पणियों का समर्थन किए बिना केवल करदाताओं के स्पष्टीकरण को अग्रेषित किया। इन मामलों का ब्यौरा **अनुलग्नक-1.31** में दिया गया है।

उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

- लेखापरीक्षा ने जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी में बेमेल पाया और आईटीसी ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 50.14 करोड़ (वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए ₹ 13.89 करोड़, ₹ 15.70 करोड़ और ₹ 20.55 करोड़) का लाभ उठाया, जो वार्ड 206 के अंतर्गत जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX1जेडO के संबंध में प्राप्त किया गया था, जिसे विभाग को सूचित किया गया था (जुलाई 2023)। उत्तर में, विभाग ने करदाता के उत्तर (अक्टूबर 2023) को उस पर अपनी टिप्पणी दिए बिना अग्रेषित कर दिया। करदाता ने अपने उत्तर में केवल जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2ए के 4ए (5) के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी पर विचार किया था। करदाता ने ₹ 4.70 करोड़ के जीएसटीआर-3बी के अवरुद्ध आईटीसी क्रेडिट (4डी) और जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी के अंतर्गत

₹ 57.38 करोड़ के आईटीसी का लाभ उठाने का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस पर दोबारा (अक्टूबर 2023) बताया जा रहा है, विभाग से कोई उत्तर नहीं मिला (जुलाई 2025)।

(ii) करदाताओं द्वारा डाटा प्रविष्टि में त्रुटियाँ

प्राप्त कुल प्रतिक्रियाओं में 3.93 प्रतिशत (127 मामलों में से पांच) डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ थी। इन डाटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। ये डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ आईएसडी, आरसीएम, द्वारा भुगतान किए गए कर और सीएलएस से संबंधित हैं जैसा कि **अनुलग्नक-1.32** में दिया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्न जारी करने से पहले की गई कार्रवाई

जिन 127 मामलों में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया था, उनमें से सात मामलों में विभाग ने पहले ही कार्रवाई कर ली थी (**अनुलग्नक-1.33**)।

(iv) अन्य वैध स्पष्टीकरण

जिन 127 उदाहरणों में विभाग ने उत्तर प्रस्तुत किया था, उनमें से विभाग ने 16 उदाहरणों में वैध स्पष्टीकरण दिए थे (**अनुलग्नक-1.34**)।

1.4.6.3 वस्तु एवं कर रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निरीक्षण प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और बनाए रखना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने डाटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, राज्यव्यापी डाटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी रिटर्न में विसंगतियों/विचलन की पहचान करने के अतिरिक्त, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जीएसटी रिटर्न का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस भाग के लिए

70 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली शुरू में जीएसटीआर-9सी के भाग के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न और वित्तीय विवरणों की डेस्क समीक्षा करने और संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलन और लाल झंडों की पहचान करने के लिए बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेख की समीक्षा करना था। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के प्रेरक कारकों की पहचान करने करदाता द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय बहीखाता, चालान आदि जैसे करदाताओं के संबंधित विस्तृत अभिलेख की मांग करके वार्डों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई।

विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने से अंततः फाइल की गई रिटर्न की सत्यता, आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान पर प्रभाव पड़ता है। चयनित 70 करदाताओं में से, लेखापरीक्षा में नियमों के पालन में 344 कमियां पाई गईं, जिनसे राजस्व कर ₹ 3,071.92 करोड़ का प्रभाव पड़ा और करों के विवरण में बेमेल पाया गया। टर्नओवर में ₹ 3,710.17 करोड़ का अंत पाया गया।

(ए) कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति/आंशिक प्रस्तुति)

लेखापरीक्षा ने विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 70 मामलों की डेस्क समीक्षा की और विस्तृत संवीक्षा के लिए अतिरिक्त आईटीसी और कर देयता बेमेल आदि से संबंधित जोखिमों को चिह्नित किया। ताकि उनका विस्तृत परीक्षण किया जा सके। जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 के साथ करके और जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं से आईटीसी बेमेल को चिह्नित किया गया। जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में की गई घोषणाओं से लेखे और कर देयता पर बेमेलों को चिह्नित किया गया।

तथापि, आईटीसी लाभ, कर देयता और टर्नओवर के बेमेल जोखिम वाले 66 मामलों में, विभाग ने विशिष्ट करदाता अभिलेख (विस्तृत अभिलेख) यानी बिक्री और खरीद चालान, क्रेडिट और डेबिट नोट, विविध देनदारों और लेनदारों का विवरण, समझौते की प्रतियां आदि प्रस्तुत नहीं किए, जबकि तीन मामलों में, विस्तृत अभिलेख आंशिक रूप से प्रदान किए गए थे। इन मामलों में अभिलेख

की प्रस्तुति न करने/आंशिक रूप से प्रस्तुत करने के कारण, आईटीसी के बेमेल, कर देयता और डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से चिह्नित किए गए कुल बिक्री को विस्तार से सत्यापित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। I. रिटर्न, II. आईटीसी का उपयोग और III. कर देयता का निर्वहन।

I. रिटर्न

70 करदाताओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला है कि करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(ए) करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 16 मामलों में, करदाताओं ने अपने रिटर्न को विलंब से फाइल किया था, लेकिन उनके द्वारा ₹ 4.46 करोड़ की नकद राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था (अनुलग्नक-1.35)। यह बताया गया (जनवरी-मार्च-2024) और सभी मामलों में विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की गई थी (जुलाई 2025)।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

- वार्ड-202 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन-07XXXXXXXXXX2जेडक्यू) ने वर्ष 2018-19 और 2020-21 की अवधि के लिए मासिक रिटर्न को देर से फाइल किया। तथापि, करदाता ने डीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 (1) के अंतर्गत निर्धारित कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 4.21 करोड़ की राशि के ब्याज का भुगतान नहीं किया। इस ओर ध्यान दिया गया (दिसंबर 2023) तथा विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही थी (जुलाई 2025)।

II. करदाताओं द्वारा आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और 17 आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित करती हैं। सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और

एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। डीजीएसटी नियमों के नियम 36 से 45 में आईटीसी का लाभ उठाने और उसे वापस लेने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा ने चयनित करदाताओं के संबंध में जीएसटीआर-2ए रिटर्न के साथ-साथ करदाताओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न जीएसटीआर3बी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी का विश्लेषण किया और रिटर्न के बीच आईटीसी के बेमेल को देखा। लेखापरीक्षा बेमेल की विस्तार से जांच नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक सूक्ष्म अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आईटीसी में बेमेल का विवरण तालिका 1.4.5 में दिया गया है:-

तालिका 1.4.5: करदाताओं द्वारा दावा किए गए आईटीसी में बेमेल

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
1.	आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए(2)+4ए(3) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1(बी) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के बीच बेमेल। (अनुलग्नक-1.36)	15	08	9.06
	एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने करदाता को एसएमटी-10 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, तथापि, उत्तर के साथ कोई सहायक दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए थे। शेष 12 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
2.	इनपुट सेवा वितरण के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए(4)-4बी(2) के अनुसार आईएसडी के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-2ए के अनुसार आईएसडी के अंतर्गत उपलब्ध आईटीसी के बीच बेमेल। (अनुलग्नक-1.37)	20	06	296.43
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
3.	आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए(5)+4डी और जीएसटीआर-9 रिटर्न की तालिका 8सी के अंतर्गत प्राप्त आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी के साथ की गई थी। (अनुलग्नक-1.38)	62	24	1,334.67
	दो मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-07 जारी किया। दो मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-01 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, तथापि, कोई सहायक दस्तावेज़ प्रदान नहीं किए गए थे। शेष 57 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
4.	जीएसटीआर-9 तालिका 8डी के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी में ऋणात्मक आंकड़े, जीएसटीआर-9 तालिका 8ए में दिखाए गए उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर-9 तालिका 8बी में दिखाए गए प्राप्त आईटीसी के बीच बेमेल को दर्ज किया गया है, जो जीएसटीआर-9 तालिका 8सी के अंतर्गत बाद की अवधि के समायोजन पर विचार करने के बाद जीएसटीआर-9 तालिका 8बी में दिखाया गया है। (अनुलग्नक-1.38(ए))	57	22	164.69
	एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-07 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-01 जारी किया। दो मामलों में, विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एसएमटी-10 जारी किया और कहा कि			

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
	आगे की कार्यवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये मामले डीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्यवाई करने के लिए समय बाधित हो गए हैं। शेष 53 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
5.	जीएसटीआर-9 तालिका 6जे के अंतर्गत आईटीसी का लाभ उठाने में बेमेल करदाता जीएसटीआर-9 तालिका 6बी से 6एच के अंतर्गत इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के रूप में प्राप्त आईटीसी का विभाजन प्रदान करता है। जीएसटीआर-9 तालिका 6ए के साथ इन तालिकाओं की तुलना करने से अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाने की संभावना का पता चलेगा। जीएसटीआर-9 तालिका 6जे में भी यही दर्शाया गया है। (अनुलग्नक-1.38 (बी))	24	14	69.49
	तीन मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-07 जारी किया। एक मामले में, विभाग ने एसएमटी-10 जारी किया और कहा कि आगे कोई कार्यवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि अवधि समय बाधित हो रही है। शेष 20 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
6.	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में दर्शाए गए आईटीसी में बेमेल जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में दिखाया गया धनात्मक अंतर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों या खाता बहियों (जीएसटीआर-9सी तालिका 12डी) के अनुसार प्राप्त आईटीसी और वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9सी तालिका 12ई में दावा किए गए आईटीसी के बेमेल को दर्शाता है। (अनुलग्नक-1.38 (सी))	2	2	3.68
	दोनों मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
7.	कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्तियों के लिए सामान्य इनपुट के बदले आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रमण कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के बदले डीजीएसटी नियमावली के नियम 42 के अंतर्गत आईटीसी के सही उत्क्रमण की जांच: जीएसटीआर-3बी तालिका 4बी(1) की तुलना शून्य/छूट प्राप्त आपूर्तियों से संबंधित उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी के साथ की गई थी। उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी की गणना एल्गोरिथम (जीएसटीआर-9 तालिका (5डी+5ई)/जीएसटीआर-9 तालिका (5एन-5एफ)X[जीएसटीआर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई+6एफ+6जी (आईटीसी [जीएसटीआर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई+6एफ+6जी (केवल इनपुट और इनपुट सेवाओं के आईटीसी पर विचार किया गया) + तालिका 8सी(-) (जीएसटीआर-3बी की तालिका 4डी(2) + जीएसटीआर-9 तालिका 7ई + तालिका 12 का योग) का उपयोग करके की गई थी। (अनुलग्नक-1.39)	50	11	881.71
	एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-01 जारी किया। शेष 49 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
8.	कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति के लिए पूंजीगत वस्तुओं के बदले आईटीसी का अल्प/गैर-उत्क्रमण। कर योग्य और छूट प्राप्त/शून्य आपूर्ति के लिए पूंजीगत वस्तुओं के बदले डीजीएसटी नियमावली के नियम 43 के अंतर्गत आईटीसी के सही उत्क्रमण की जांच: जीएसटीआर-9 तालिका 7डी(आईटीसी पूंजीगत वस्तुएं) की तुलना शून्य/छूट प्राप्त आपूर्तियों से संबंधित उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी के साथ की गई थी। उत्क्रमित किए जाने वाले आईटीसी की गणना एल्गोरिथम (जीएसटीआर-9 तालिका (5डी+5ई)/जीएसटीआर-9 तालिका (5एन-5एफ) X [जीएसटीआर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई+6एफ+6जी (केवल पूंजीगत वस्तुओं के आईटीसी पर विचार किया गया) का उपयोग करके की गई थी। (अनुलग्नक-1.40)	10	4	21.95
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

III. कर देयता के भुगतान से संबंधित बेमेल

जीएसटी के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 कर लगाने का अधिकार प्रदान करती है, जो मानव उपभोग के लिए मादक पेय पदार्थों की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतः-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्रीय/राज्य वस्तु एवं सेवा कर की उगाही और संग्रहण का अधिकार देती है। यह कर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर और ऐसी दरों पर लगाया जाता है जो प्रत्येक अधिनियम- अर्थात् सीजीएसटी अधिनियम और एसजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत 20 प्रतिशत से अधिक न हों।

डीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर उत्क्रम प्रभार लगाने का प्रावधान करती हैं, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए करदाताओं द्वारा फाइल किए गए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी रिटर्न की संवीक्षा की गई और रिटर्न में घोषित कर देयता और टर्नओवर की तुलना करके कर देयता के भुगतान और टर्नओवर में बेमेल पाया गया। लेखापरीक्षा इन बेमेल की विस्तार से जांच नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा संबंधित सूक्ष्म अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। कर देयता और टर्नओवर के बेमेल का विवरण तालिका 1.4.6 और तालिका 1.4.6(ए) में दिया गया है।

तालिका 1.4.6: कर देयता के भुगतान से संबंधित बेमेल

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
1.	जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी के बीच कर देयता बेमेल जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-9 में प्रस्तुत राशियों की अधिक राशि के आधार पर कर देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका 6.1 (ए) और जीएसटीआर-9 तालिका 14 के अनुसार किए गए वास्तविक भुगतान के साथ की गई थी। (अनुलग्नक-1.41)	45	15	255.02
	दो मामलों में, विभाग ने करदाताओं को डीआरसी-07 जारी किया। शेष 43 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
II.	आरसीएम के अंतर्गत कर देयता के भुगतान में बेमेल रिटर्न जीएसटीआर-2ए, जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी और जीएसटीआरबी की तालिका 3.1डी में दर्शाए गए आरसीएम के अंतर्गत अधिकतम देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 6.1(बी) के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत भुगतान की गई वास्तविक कर देयता के साथ की गई थी। (अनुलग्नक-1.4-2)	07	4	10.69
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
III.	जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-9 में दर्शाए गए भुगतान किए गए कर का बेमेल क) जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में दिखाए गए भुगतान किए गए कर का बेमेल। (अनुलग्नक-1.43 खंड-I) ख) जीएसटीआर-9सी तालिका 9क्यू और जीएसटीआर-9 तालिका 9 के अनुसार भुगतान किए गए कर का बेमेल। (अनुलग्नक-1.43 खंड-II)	5	5	20.07
	सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

तालिका 1.4.6(ए): टर्नओवर का बेमेल

क्रम सं.	लेखापरीक्षा मापदंड	मामलों की संख्या	वार्डों की संख्या	बेमेल की राशि (₹ करोड़ में)
1.	जीएसटीआर-9सी की तालिका 5ओ में समायोजन के माध्यम से टर्नओवर में कमी चूंकि तालिका 5ओ में किए गए समायोजनों के लिए जीएसटीआर-9सी रिटर्न में कोई कारण नहीं दिया गया है और उक्त तालिका में ऋणात्मक मूल्य इंगित करता है कि करदाताओं ने उस राशि से अपना टर्नओवर कम कर दिया होगा। (अनुलग्नक-1.44)	27	11	3,573.33
	तीन मामलों में, विभाग ने एसएमटी-10 जारी किया और जिनमें से दो मामलों में विभाग ने कहा कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि अवधि समय बाधित हो गई है। एक मामले में, विभाग ने करदाता को डीआरसी-01 जारी किया। शेष 23 मामलों में, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
2.	बिना बिल वाले राजस्व पर कर योग्य टर्नओवर को छिपाना पिछले वर्ष के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5एच के साथ एक वर्ष के जीएसटीआर-9सी की तालिका 5बी की तुलना। (अनुलग्नक-1.45)	2	2	11.95
	दोनों मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			
3.	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार असमायोजित टर्नओवर। जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर, 7जी के अनुसार। (अनुलग्नक-1.46)	2	2	124.89
	दोनों मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2025)।			

सिफारिश 1.4.3: विभाग सभी बेमेल मामलों को आगे बढ़ाए और उनके समय बाधित होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करे।

1.4.6.4 अन्य अभ्युक्तियां

(i) जनशक्ति की अपर्याप्तता

विभाग के कुशल संचालन और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उचित जनशक्ति नियोजन और उसका उचित विन्यास आवश्यक है।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान न्यायनिर्णयन अधिकारी (सहायक आयुक्त और जीएसटीओ) और अन्य सहायक कर्मचारियों (निरीक्षक) के संबंध में विभाग में जनशक्ति की स्वीकृत और कार्यरत संख्या तालिका 1.4.7 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4.7: स्वीकृत और कार्यरत कार्मिक संख्या

वर्ष	पदों के नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की प्रतिशतता
2018-19	न्यायनिर्णयन अधिकारी	300	230	70	23.33
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	127	99	28	22.05
2019-20	न्यायनिर्णयन अधिकारी	300	189	111	37.00
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	127	74	53	41.73
2020-21	न्यायनिर्णयन अधिकारी	300	207	93	31.00
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	127	77	50	39.37
2021-22	न्यायनिर्णयन अधिकारी	304	199	105	34.54
	सहायक कर्मचारी (निरीक्षक)	129	90	39	30.23

स्रोत: व्यापार और कर विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2021-22 के दौरान, न्यायनिर्णयन अधिकारी के संबंध में रिक्त पद 23.33 प्रतिशत और 37.00 प्रतिशत के बीच थे। इसके अतिरिक्त, सहायक कर्मचारियों के संबंध में रिक्त पद 22.05 प्रतिशत से 41.73 प्रतिशत के बीच थे। पर्याप्त जनशक्ति के आभाव ने विभाग की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो रिटर्नों की संवीक्षा में सुधारात्मक कार्रवाई की धीमी गति, पंजीकरणों के निरसन के मामलों में कार्रवाई की कमी आदि से स्पष्ट है।

1.4.7 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा और विभागीय निरीक्षण कार्यों का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

यह एसएससीए मुख्य रूप से डाटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें 2018-21 के लिए फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, खतरे के संकेत और कुछ मामलों में, नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया गया। एसएससीए में दिल्ली राज्य कर विभाग के आधिकारिक फार्मेशनों (क्षेत्र) के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर, अर्थात् राज्य-व्यापी डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर और वार्डों, जीएसटी रिटर्न और आंतरिक लेखापरीक्षा जिसमें करदाताओं के अभिलेखों की अभिप्राप्ति सम्मिलित है, की विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर आकलन करना सम्मिलित था। इसलिए, लेखापरीक्षा नमूने में 10 वार्ड, डाटा प्रश्नों के माध्यम से चयनित 17 मापदंडों में 285 करदाताओं को सम्मिलित करते हुए 487 उच्च मूल्य की विसंगतियां और वर्ष 2018-21 के लिए जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन पर चयनित 70 करदाता सम्मिलित थे।

वार्डों की लेखापरीक्षा से रिटर्नों की संवीक्षा और पंजीकरण के निरसन की अनुवर्ती कार्रवाई में विलंब का पता चला।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में, 487 उच्च मूल्य की विसंगतियों में से विभाग ने केवल 127 मामलों में उत्तर दिए, जिनमें से विभाग ने 74 मामलों में ₹ 2,656.65 करोड़ के लिए एससीएन और 17 मामलों में ₹ 273.87 करोड़ के लिए एएसएमटी-10 जारी करके 91 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की थी।

जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के जीएसटी रिटर्न में महत्वपूर्ण बेमेल का भी पता चला है। 66 मामलों में करदाताओं के अभिलेख (सूक्ष्म अभिलेख) प्रदान नहीं किए गए थे और तीन मामलों में आंशिक रूप से प्रदान किए गए थे, इसलिए, इन मामलों की विस्तार से जांच नहीं की जा सकी। केंद्रीकृत और विस्तृत लेखापरीक्षा में पहचाने गए महत्वपूर्ण बेमेल को ध्यान में रखते हुए, विभाग को उनके समय बाधित होने से पहले सुधारात्मक उपाय शुरू करने चाहिए।

1.4.8 एक नज़र में सिफारिशें

1. विभाग यह सुनिश्चित करे कि करदाताओं को नोटिस और मांगों की सूचना जारी करने में विलंब से बचा जाए।

2. विभाग पंजीकरण निरस्त करने के समय देयता का निर्धारण सुनिश्चित करे और चूककर्ता करदाताओं के साथ सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए सक्रिय रूप से कार्य करे।
3. विभाग लेखापरीक्षा द्वारा जीएसटी रिटर्न में इंगित किए गए विसंगतियों और विचलनों के 360 मामलों को तुरंत आगे बढ़ाए, जिनके लिए उत्तर प्रदान नहीं किए गए हैं और परिणामों के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित करे।
4. विभाग सभी बेमेल मामलों को आगे बढ़ाए और उनके समय बाधित होने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करे।

1.5 इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित दावा

निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता व्यापारी द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना एक निर्धारिती को ₹ 89.35 लाख के इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 89.35 लाख के कर की अल्प उगाही हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 72.70 लाख का ब्याज और ₹ 89.35 लाख का जुर्माना भी देय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 (डीवीएटी अधिनियम) की धारा 9(2)(जी) में कहा गया है कि विक्रेता को तब तक कोई कर क्रेडिट नहीं दिया जाएगा जब तक कि क्रेता व्यापारी द्वारा भुगतान किया गया कर विक्रेता व्यापारी द्वारा वास्तव में सरकार के पास जमा नहीं किया गया हो या आउटपुट कर देयता के प्रति विधिवत समायोजित नहीं किया गया हो और संबंधित कर अवधि के लिए फाइल किए गए रिटर्न में सही ढंग से दिखाया नहीं गया हो। डीवीएटी अधिनियम की धारा 86(10) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है, जो किसी विशेष मद में झूठा, भ्रामक या कपटपूर्ण है, वह जुर्माने के रूप में ₹ दस हजार रुपये या कर की कमी की राशि, जो भी अधिक हो, जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक के लिए डीवीएटी अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत ब्याज भी लगेगा।

लेखापरीक्षा में व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के निर्धारण प्राधिकारी (वार्ड 208) के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और पाया गया कि एक निर्धारिती (टीआईएन-07XXXXXX409) ने अनुलग्नक-2ए (फॉर्म डीवीएटी-30) में विक्रेता (टीआईएन-07XXXXXX813) से ₹ 4.47 करोड़ की स्थानीय खरीद दिखाई थी और वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए 27 फरवरी 2020 को फाइल किए गए डीवीएटी रिटर्न (फॉर्म डीवीएटी-16) में ₹ 89.35 लाख के आईटीसी का दावा किया था। इसके अतिरिक्त, 30 नवंबर 2019 को विक्रेता द्वारा फाइल किए गए बिक्री सारांश (अनुलग्नक 2बी- फॉर्म डीवीएटी-31) से प्रति-सत्यापन पर, यह पाया गया कि विक्रेता व्यापारी ने वर्ष 2018-19 के दौरान निर्धारिती को कोई बिक्री नहीं दिखाई थी। अतः, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया आईटीसी स्वीकार्य नहीं था।

तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने डीवीएटी अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत 10 मार्च 2022 को अपने व्यतिक्रम निर्धारण में, निर्धारिती की कर देयता का गलत निर्धारण किया और विक्रेता व्यापारी द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना निर्धारिती को ₹ 89.35 लाख के अस्वीकार्य आईटीसी की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 89.35 लाख के कर की अल्प उगाही हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 72.70 लाख (15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) का ब्याज और ₹ 89.35 लाख का जुर्माना भी लगाया जाना था।

उत्तर में, विभाग ने कहा (27 जनवरी 2025) कि उसने करदाता को दिनांक 27 जनवरी 2025 को नोटिस जारी की थी और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, वह एक उचित आदेश जारी करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने अपनी नोटिस की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 10 मार्च 2025 को एक अनुस्मारक भेजा और बाद में निर्धारिती की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर, लेखापरीक्षा के दावे के अनुरूप अपने आप से एक निर्धारण आदेश जारी किया (21 मार्च 2025)।